



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12012026-269296
CG-DL-E-12012026-269296

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 12, 2026/पौष 22, 1947

No. 18]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 12, 2026/PAUSHA 22, 1947

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 18(अ).- केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 (वर्ष 2025 का 25) की धारा 31 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (क), (ख), (ग), (ट), (ड), (ढ) और (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय खेल शासन (राष्ट्रीय खेल निकाय) नियम, 2026 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएँ - (1) इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 (वर्ष 2025 का 25) अभिप्रेत है;

(ख) "केन्द्रीय सरकार" से केन्द्रीय सरकार का वह विभाग अभिप्रेत है जिसे भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अन्तर्गत खेल विषय आबंटित किया गया है;

(ग) "निर्वाचित पद" से कार्यकारी समिति के सभी पद अभिप्रेत है, सिवाय, -

(i) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन खंड (ख) के उपखंड (ii) के अधीनखेल समिति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित पद; और

(ii) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अन्तर्गत खण्ड (ख) के उपखण्ड (iii) के अन्तर्गत पदेन सदस्यों द्वारा धारित किए जाने वाले पद ;

(घ) "निर्वाचन नियमों" से अनुसूची II में विनिर्दिष्ट कार्यकारी समितियों के चुनावों पर लागू नियम अभिप्रेत है;

(ङ) "निर्वाचन अधिकारी" से अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचित व्यक्ति अभिप्रेत है;

(च) "कार्यकारी समिति" से अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में प्रत्येक राष्ट्रीय खेल निकाय में गठित समिति से अभिप्रेत है;

(छ) "सामान्य निकाय" से अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में प्रत्येक राष्ट्रीय खेल निकाय में गठित निकाय अभिप्रेत है;

(ज) "राष्ट्रीय खेल निकाय" से अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत स्थापित निकाय अभिप्रेत है;

(झ) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है; और

(ञ) "उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों के लिए पात्रता नियम" में अनुसूची I में विनिर्दिष्ट उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों के लिए पात्रता नियमों अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और पद, जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे, जो उनके अधिनियम में हैं।

अध्याय 2

उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ी

3. महासभा में उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व — (1) प्रत्येक राष्ट्रीय खेल निकाय की महासभा में, मतदान सदस्य के रूप में, कम से कम चार अथवा कोई अन्य उच्चतर सम संख्या में उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों को सम्मिलित किया जाएगा, जिनमें से पचास प्रतिशत उत्कृष्ट योग्यता वाले पुरुष खिलाड़ी होंगे और पचास प्रतिशत उत्कृष्ट योग्यता वाली महिला खिलाड़ी होंगी।

(2) उप-नियम (1) के अधीन उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों को निर्वाचन या नामांकन की विधि संबंधित राष्ट्रीय खेल संस्था के उपनियमों में विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

4. कार्यकारी समिति में उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व — अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) के अनुसरण में, उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों को कार्यकारी समिति में सम्मिलित किया जाएगा और नियम 9 के अनुसार कार्यकारी समिति में उनका निर्वाचन किया जाएगा।

5. पात्रता मानदंड और आवेदन — (1) राष्ट्रीय खेल निकाय उन व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करेगी जिन्हें उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ी के रूप में विचार किया जाना है और ऐसे आवेदन आमंत्रण में सामान्य पात्रता मानदंड तथा स्तरीकृत पात्रता मानदंड, जैसा कि अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट है, का उल्लेख किया जाएगा, जिसके आधार पर उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों की सूची तैयार की जाएगी।

(2) उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ी के रूप में आवेदन प्रस्तुत करने वाले किसी भी व्यक्ति को अनुसूची-1 के अधीन उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों की पात्रता नियमावली में विनिर्दिष्ट सामान्य पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा और आवेदन आमंत्रित किए जाने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर संबंधित राष्ट्रीय खेल निकाय को आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जो उस संस्था की कार्यकारी समिति द्वारा या उसके उपनियमों में विनिर्दिष्ट प्ररूप और जानकारी के अनुसार हो।

6. उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों की सूची— (1) नियम 5 के उप-नियम (2) के अधीन प्रस्तुत आवेदनों पर विचार करने के पश्चात्, प्रत्येक राष्ट्रीय खेल निकाय अपने संबंधित खेल के संबंध में उत्कृष्ट योग्यता वाले पुरुष खिलाड़ियों की एक सूची तथा उत्कृष्ट योग्यता वाली महिला खिलाड़ियों की एक सूची तैयार करेगा और यह सूची उस राष्ट्रीय खेल संस्था की वर्तमान कार्यकारी समिति के कार्यकाल की समाप्ति से कम से कम नब्बे दिन पूर्व तैयार करेगा।

(2) यथास्थिति उत्कृष्ट योग्यता वाले पुरुष खिलाड़ियों की सूची तथा उत्कृष्ट योग्यता वाली महिला खिलाड़ियों की सूची, दोनों में उतने खिलाड़ियों की संख्या सम्मिलित की जाए जो संबंधित राष्ट्रीय खेल निकाय की महासभा में उत्कृष्ट योग्यता वाले पुरुष खिलाड़ियों अथवा उत्कृष्ट योग्यता वाली महिला खिलाड़ियों की संख्या, से दस गुना होगी।

(3) राष्ट्रीय खेल निकाय, उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों की संबंधित सूची तैयार करते समय, उत्कृष्ट योग्यता वाले पुरुष खिलाड़ियों तथा उत्कृष्ट योग्यता वाली महिला खिलाड़ियों पर जो भी लागू हो, निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करेगी, यथा:—

(क) पहली बार, वे सभी आवेदक जो अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट सामान्य पात्रता मानदंड तथा स्तरीकृत पात्रता मानदंड के प्रथम स्तर (टियर 1) की आवश्यकता को पूरा करते हैं, उन्हें संबंधित उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों की सूची में सम्मिलित किया जाएगा।

(ख) यदि उपखंड (क) के अनुसार उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों की सूची उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट सीमा तक तैयार नहीं की जा सकती है, तो राष्ट्रीय खेल निकाय उन आवेदकों को सम्मिलित करेगी जो सामान्य पात्रता मानदंड तथा स्तरीकृत पात्रता मानदंड को पूरा करते हों और उन्हें क्रमिक रूप से उस स्तर के तुरंत पश्चात वाले स्तर में सम्मिलित किया जाएगा जिसे अंतिम बार विचार किया गया था, जब तक कि संबंधित उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों की सूची में सम्मिलित आवेदकों की संख्या उक्त सीमा को पूरा न कर ले।

(ग) यदि किसी विशेष स्तर (टियर) के उपयोग के परिणामस्वरूप उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों की संख्या उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाती है, तो उस स्तर के अधीनयोग्य अभ्यर्थियों के समूह में आयु के आधार पर सबसे वरिष्ठ आवेदक को चयन में प्राथमिकता और वरीयता दी जाएगी; और

(घ) यदि राष्ट्रीय खेल निकाय उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट सीमा तक संबंधित उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों की सूची को उपखंड (क) से (ग) के अधीनदिए गए चरणों के आधार पर तैयार करने में असमर्थ होती है, तो वह नियम 5 के उप-नियम (1) के अनुसार पुनः आवेदन आमंत्रित कर सकती है अथवा ऐसी उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों की सूची के लिए अतिरिक्त स्तरीकृत मानदंड तैयार और स्वीकृत कर सकती है, जो अनुसूची-1 में प्रयुक्त सिद्धांतों पर आधारित होंगे।

(4) उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों की सूचियाँ, जिन्हें इस नियम के अनुसार अंतिम रूप दिया गया है, संबंधित राष्ट्रीय खेल निकाय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएंगी और राष्ट्रीय खेल बोर्ड को प्रस्तुत की जाएंगी।

(5) किसी भी व्यक्ति का नाम यदि उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों की सूची में सम्मिलित है, तो उसे उस राष्ट्रीय खेल निकाय के संबंध में अधिनियम और उसके अधीनबनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए उत्कृष्ट योग्यता वाला खिलाड़ी माना जाएगा।

अध्याय 3

महासभा और कार्यकारी समिति

7. महासभा की संरचना।— (1) प्रत्येक राष्ट्रीय खेल निकाय की महासभा में निम्नलिखित श्रेणियों के सदस्य होंगे:—

(क) कम से कम चार उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ी;

(ख) राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मामले में, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की उपनियमों में विनिर्दिष्ट पदेन सदस्य;

(ग) राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मामले में, प्रत्येक राष्ट्रीय खेल परिसंघ के प्रतिनिधि जो राष्ट्रीय खेल बोर्ड के साथ संबद्ध इकाई के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं;

(घ) राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अतिरिक्त किसी अन्य राष्ट्रीय खेल निकाय के मामले में, प्रत्येक राज्य स्तरीय संबद्ध इकाई के प्रतिनिधि, जो राष्ट्रीय खेल बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत हैं; और

(ड) राष्ट्रीय खेल निकाय के उपनियमों द्वारा प्रदत्त अन्य किसी श्रेणी के व्यक्ति, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा जारी सुसंगत अंतर्राष्ट्रीय चार्टर और विधियों के अनुरूप हों, अथवा संबंधित अंतर्राष्ट्रीय खेल निकाय द्वारा आवश्यक हों।

(2) उप-नियम (1) के उपखंड (क) में विनिर्दिष्ट उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों का महासभा में निर्वाचन या नामांकन, संबंधित राष्ट्रीय खेल निकाय की वर्तमान कार्यकारी समिति के कार्यकाल की समाप्ति से कम से कम पचहत्तर दिन पूर्व किया जाएगा।

8. कार्यकारी समिति का कार्यकाल और संरचना— (1) प्रत्येक राष्ट्रीय खेल निकाय की कार्यकारी समिति का कार्यकाल, संबंधित निकाय की उपनियमों द्वारा निर्धारित किया जाएगा, परंतु वह चार वर्ष से अधिक नहीं होगा।

(2) किसी राष्ट्रीय खेल निकाय के उपनियमों में उसकी संरचना विनिर्दिष्ट करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यकारी समिति में उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों में से कम से कम एक महिला हो तथा एथलीट समिति के प्रतिनिधियों में से भी कम से कम एक महिला हो।

9. कार्यकारी समिति के निर्वाचन की प्रक्रिया— (1) कार्यकारी समिति के सभी निर्वाचित पदों का निर्वाचन प्रत्येक चार वर्ष में कम से कम एक बार निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से तथा अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट निर्वाचन नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(2) जब तक अंतर्राष्ट्रीय चार्टर और विधियों में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, कार्यकारी समिति अपने कार्यकाल की समाप्ति से कम से कम साठ दिन पूर्व एक प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय खेल निर्वाचन पैनल से एक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करेगी, जो निर्वाचन सूची तैयार करने और कार्यकारी समिति तथा एथलीट समिति के निर्वाचन का संचालन करेगा।

(3) कार्यकारी समिति, उप-नियम (2) के अधीननियुक्त निर्वाचन अधिकारी से परामर्श करके, अपने कार्यकाल की समाप्ति से कम से कम पचास दिन पूर्व निर्वाचन की तारीख अधिसूचित करेगी।

(4) निर्वाचन अधिकारी, अनुसूची-II में निहित निर्वाचन नियमों के अनुसरण में, राष्ट्रीय खेल निकाय की कार्यकारी समिति के निर्वाचन को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) राष्ट्रीय खेल निकाय, निर्वाचन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट आवश्यक संख्या में प्रशासनिक कर्मचारियों को उपलब्ध कराएगी ताकि वह अधिकारी कार्यकारी समिति के निर्वाचन का संचालन कर सके।

(6) राष्ट्रीय खेल निकाय अपनी कार्यकारी समिति के निर्वाचन के लिए इन नियमों में विनिर्दिष्ट समय-सीमाओं का पालन करेगी और उन्हें नीचे दिए गए समय-सारणी अनुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया जाएगा।

नियम/खंड	विषय	समय-सारणी
नियम 5(2)	उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ी बनने के लिए आवेदन जमा करना	नियम 5 के उप-नियम (1) के अधीन आवेदन आमंत्रित किए जाने के साठ दिनों के भीतर
नियम 6(1)	उत्कृष्ट योग्यता वाले पुरुष खिलाड़ियों की सूची और उत्कृष्ट योग्यता वाली महिला खिलाड़ियों की सूची तैयार करना	विद्यमान कार्यकारी समिति का कार्यकाल खत्म होने से कम से कम नब्बे दिन पूर्व
नियम 7(2)	महासभा के लिए उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों का निर्वाचन या नामांकन	विद्यमान कार्यकारी समिति का कार्यकाल खत्म होने से कम से कम पचहत्तर दिन पूर्व
नियम 9(2)	एक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति	विद्यमान कार्यकारी समिति का कार्यकाल खत्म होने

		से कम से कम साठ दिन पूर्व
नियम 9(3)	निर्वाचन की तारीख की सूचना	विद्यमान कार्यकारी समिति का कार्यकाल खत्म होने से कम से कम पचास दिन पूर्व
नियम 10(5)	प्रारूप निर्वाचन सूची तैयार करना और जारी करना	विद्यमान कार्यकारी समिति का कार्यकाल खत्म होने से कम से कम पैंतालीस दिन पूर्व
अनुसूची II का खंड 5(i)	निर्वाचन की घोषणा, अंतिम निर्वाचन सूची जारी करना और नामांकन के लिए आमंत्रण	विद्यमान कार्यकारी समिति का कार्यकाल खत्म होने से कम से कम तीस दिन पूर्व

10. कार्यकारी समिति का निर्वाचन— (1) जब तक कि अंतर्राष्ट्रीय चार्टर और विधियों में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीनपात्रता मानदंडों को पूरा करता है और नियम 11 के अधीन निर्हता का पात्र नहीं है, वह राष्ट्रीय खेल निकाय की कार्यकारी समिति के निर्वाचन का प्रत्याशी हो सकता है।

(2) नियम 7 के उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट अनुसार राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की महासभा के सदस्य, अपनी कार्यकारी समिति के निर्वाचन में मतदान करने के लिए पात्र होंगे, जो निम्नानुसार है, अर्थात्:—

(क) उत्कृष्ट योग्यता वाले प्रत्येक खिलाड़ी को एक मत होगा;

(ख) प्रत्येक पदेन सदस्य को एक मत होगा;

(ग) प्रत्येक राष्ट्रीय खेल परिसंघ, जो राष्ट्रीय खेल बोर्ड के साथ राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की संबद्ध इकाई के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, को अधिकतम दो मत प्राप्त होंगे, जिन्हें उस संबद्ध इकाई के अलग-अलग व्यक्तिगत प्रतिनिधियों द्वारा प्रयोग किया जाएगा; और

(घ) नियम 7 के उप-नियम (1) के उपखंड (ड) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का एक मत होगा।

(3) राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अतिरिक्त किसी अन्य राष्ट्रीय खेल निकाय की महासभा के सदस्य, नियम 7 के उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट अनुसार अपनी कार्यकारी समिति के निर्वाचन में मतदान करने के लिए पात्र होंगे, जैसा कि नीचे विनिर्दिष्ट है:—

(क) प्रत्येक उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ी का एक मत होगा;

(ख) राष्ट्रीय खेल बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय खेल निकाय की प्रत्येक राज्य स्तरीय संबद्ध इकाई को अधिकतम दो मत प्राप्त होंगे, जिन्हें उस संबद्ध इकाई के अलग-अलग व्यक्तिगत प्रतिनिधियों द्वारा प्रयोग किया जाएगा; और

(ग) नियम 7 के उप-नियम (1) के उप-नियम (ड) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए, प्रति व्यक्ति एक मत होगा।

(4) कार्यकारी समिति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन सूची में केवल वही सदस्य अथवा उनके प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे जो संबंधित राष्ट्रीय खेल निकाय की महासभा में उप-नियम (2) या उप-नियम (3), जो भी स्थिति हो, के अनुसार मतदान का अधिकार रखते हैं और जो अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अधीन अन्यथा निर्धारित नहीं हैं।

(5) निर्वाचन अधिकारी, संबंधित राष्ट्रीय खेल निकाय की तत्कालीन कार्यकारी समिति से परामर्श करके, कार्यकारी समिति के कार्यकाल की समाप्ति से कम से कम पैंतालीस दिन पूर्व निर्वाचन हेतु प्रारूप निर्वाचन सूची तैयार करेगा और जारी करेगा:

परंतु यह कि, निर्वाचन सूची में किसी व्यक्ति को सम्मिलित करने अथवा न करने के संबंध में निर्वाचन अधिकारी का विनिश्चय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(6) निर्वाचन अधिकारी, प्रारूप निर्वाचन सूची जारी होने की तारीख से कम से कम सात दिन का समय प्रदान करेगा, ताकि अंतिम निर्वाचन सूची की संरचना के संबंध में प्राप्त किसी भी आपत्ति को स्वीकार किया जा सके और उसका समाधान किया जा सके।

11. निर्हता— (1) कोई भी व्यक्ति महासभा का सदस्य या किसी राष्ट्रीय खेल निकाय की किसी समिति का सदस्य बनने से निर्हृत होगा और कार्यकारी समिति या खिलाड़ी समिति के निर्वाचन में प्रत्याशी बनने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि ऐसा व्यक्ति —

(क) लागू विधि के अधीनदिवालिया घोषित किया गया हो; या

(ख) भारत में सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध हो और उसे कारावास का दण्डादेश हो; या

(ग) ऐसे राष्ट्रीय खेल निकाय की आचार समिति के आदेश द्वारा किसी पद को धारण करने से प्रतिबंधित किया गया हो:

परंतु यह कि निर्हता के संबंध में—

(i) खंड (ख) ऐसे दंडादेश के पूरा होने के पश्चात् कार्यपालिका समिति के एक पूरे कालावधि के लिए होगा; और

(ii) खंड (ग) ऐसे प्रतिबंध की अवधि के लिए होगा।

(2) राष्ट्रीय खेल निकाय के उपनियमों में यह उपबंध हो सकेगा कि उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट मानदंडों के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को निम्नलिखित से भी अयोग्य घोषित किया जाएगा-

(क) ऐसे राष्ट्रीय खेल निकाय की साधारण निकाय या किसी समिति का सदस्य होने पर, या यदि ऐसा व्यक्ति राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अतिरिक्त किसी दूसरी राष्ट्रीय खेल निकाय का सदस्य है, तो वह कार्यपालिका समिति या एथलीट समिति का निर्वाचन लड़ने के लिए अर्हित नहीं होगा; और

(ख) ऐसे राष्ट्रीय खेल निकाय के साधारण निकाय या किसी समिति का सदस्य होने के कारण, ऐसे व्यक्ति ने किसी अन्य राष्ट्रीय खेल निकाय में अध्यक्ष, महासचिव या कोषाध्यक्ष का पद धारण करने के पश्चात् एक कार्यकाल की विराम अवधि पूरी नहीं की है।

अध्याय 4 राष्ट्रीय खेल निर्वाचन पैनल

12. राष्ट्रीय खेल निर्वाचन पैनल का रोस्टर - (1)राष्ट्रीय खेल बोर्ड, अधिनियम की धारा 16की उपधारा (1)के अधीन अधिसूचित राष्ट्रीय खेल निर्वाचन पैनल का रोस्टर बनाए रखेगा।

(2)राष्ट्रीय खेल निर्वाचन पैनल के रोस्टर में हर समय कम से कम बीस सदस्य होंगे जो अधिनियम की धारा 16की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अर्हताएं पूरी करते हों।

(3)राष्ट्रीय खेल निर्वाचन पैनल का रोस्टर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023) 2023का (47की धारा 74के अर्थ में एक सार्वजनिक दस्तावेज होगा।

13. निर्वाचन अधिकारियों को देय फीस- प्रत्येक निर्वाचन के संबंध में, राष्ट्रीय खेल निकाय, निर्वाचन अधिकारी के साथ आपसी सहमति के आधार पर, फीरा के रूप में अधिकतम पाँच लाख

रुपए का भुगतान करेगा, साथ ही ऐसे अधिकारी के सहायक के लिए पारस्परिक रूप से सहमत रकम की फीस, यदि कोई हो, का भी भुगतान करेगा।

अध्याय 5 एथलीट समितियां, नैतिकता समितियां और विवाद समाधान समितियां

14. राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के उपनियमों में समितियों से संबंधित उपबंध- राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के उपनियमों में एथलीट समिति, नैतिकता समिति और विवाद समाधान समिति के गठन, संचालन और प्रक्रियाओं से संबंधित उपबंध सम्मिलित होंगे, जो जो-

(क) अंतर्राष्ट्रीय चार्टर और कानूनों में बनाए गए दिशानिर्देशों का पालन करना; और

(ख) राष्ट्रीय खेल बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट मॉडल दिशानिर्देशों या विनियमों द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

15. राष्ट्रीय खेल निकाय के उपनियम में समितियों से जुड़े उपबंध- राष्ट्रीय खेल निकाय के अतिरिक्त, प्रत्येक राष्ट्रीय खेल निकाय के उपनियम में एथलीट समिति, आचार शास्त्र समिति और विवाद समाधान समिति के गठन, प्रचालन और प्रक्रिया से संबंधित उपबंध सम्मिलित होंगे, जो -

(क) ऐसे दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे जैसा कि अन्तर्राष्ट्रीय चार्टर एवं विधियों में विनिर्दिष्ट किया जा सके;

(ख) राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से अन्यथा राष्ट्रीय खेल निकायों के मामले में, दिशानिर्देश जो राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकेगी, और

(ग) यदि खंड (क) और खंड (ख) के अधीन दिशानिर्देश उपलब्ध न हो, तो समय समय पर राष्ट्रीय खेल बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट यथास्थिति, माडल दिशानिर्देश या विनियमों द्वारा संचालित होंगे।

अध्याय 6 क्षेत्रीय खेल संघ

16. क्षेत्रीय खेल महासंघों द्वारा संबद्धता बनाए रखी जाएगी- ((1)प्रत्येक क्षेत्रीय खेल महासंघ को संबंधित अंतर्राष्ट्रीय खेल निकाय से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और संबद्धता प्राप्त होगी, जब तक कि किसी नामनिर्दिष्ट खेल का कोई अंतर्राष्ट्रीय खेल निकाय न हो।

(2)जहाँ एक ही खेल के लिए एक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खेल निकाय हैं या जहाँ एक से अधिक क्षेत्रीय खेल महासंघ मान्यता के लिए आवेदन करते हैं, राष्ट्रीय खेल बोर्ड लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों के आधार पर संबद्धता और मान्यता के मामले पर निर्णय ले सकेगा।

अध्याय 7 संबद्ध इकाइयाँ

17. संबद्ध इकाइयों का पंजीकरण- ((1)प्रत्येक राष्ट्रीय खेल निकाय, अपनी संबद्ध इकाइयों में से प्रत्येक का राष्ट्रीय खेल बोर्ड के साथ पंजीकरण सुगम बनाएगा और नीचे दी गई सूचना तथा दस्तावेज़ राष्ट्रीय खेल बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति से प्रस्तुत किए जाएं:-

(क) ऐसी संबद्ध इकाई के संबंध में राष्ट्रीय खेल निकाय द्वारा जारी संबद्धता प्रमाणपत्र की प्रति;

(ख) लागू विधियों के अधीन, जैसा भी मामला हो, एक सोसायटी, गैर-लाभकारी कंपनी या ट्रस्ट के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति;

(ग) संबद्ध इकाई के शासी निकाय के सभी सदस्यों के नाम और पदनाम, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए; और

(घ) कोई अन्य जानकारी, जैसा कि राष्ट्रीय खेल बोर्ड द्वारा अधिनियम के अधीन अपने कार्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2)राष्ट्रीय खेल निकाय की प्रत्येक संबद्ध इकाई उप-नियम ((1)का अनुपालन सुनिश्चित करेगी और इसके अतिरिक्त अपनी प्रत्येक संबद्ध इकाई का राष्ट्रीय खेल बोर्ड के साथ पंजीकरण सुनिश्चित करेगी तथा उप-नियम ((1)के उपबंध प्रत्येक ऐसी इकाई पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(3)राष्ट्रीय खेल बोर्ड में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक सम्बद्ध इकाई को उपलब्ध कराई गई सूचना में किसी भी परिवर्तन की सूचना तीस दिन के भीतर बोर्ड को देनी होगी।

अध्याय 8 प्रकीर्ण

18. प्रकीर्ण

(1) प्रत्येक राष्ट्रीय खेल निकाय छह माह की अवधि के भीतर, अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप अपने उपनियमों में संशोधन करेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, किसी राष्ट्रीय खेल निकाय से आवेदन प्राप्त होने पर, इन नियमों के प्रारम्भ से बारह महीने की अवधि के लिए इन नियमों के उपबंधों में छूट दे सकेगी और ऐसी छूट के कारण लिखित में रिकार्ड किए जाएंगे।

अनुसूची । नियम 5 और 6 देखें)

उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों के लिए पात्रता नियम

1. सामान्य योग्यता मानदंड - कोई भी व्यक्ति जो असाधारण योग्यता वाला खिलाड़ी बनना चाहता है, वह-

(क) भारतीय नागरिक होगा;

(ख) स्वस्थ मस्तिष्क का होगा;

(ग) पच्चीस वर्ष से कम आयु का नहीं होगा; और

(घ) सक्रिय खेल से सेवानिवृत्त हो गया हो और नियम 5 के उप-नियम (2) के अधीन आवेदन की तारीख से कम से कम एक वर्ष पहले किसी भी प्रतिस्पर्धी खेल कार्यक्रम में भाग न लिया हो, जो जिला, राज्य या भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयन किया जाता हो।

2. श्रेणी पात्रता मानदंड - (1) राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति के उत्कृष्ट योग्यता सूचकांक वाले खिलाड़ियों में सम्मिलित होने के इच्छुक आवेदकों के मामले में, ऐसे आवेदक ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए केवल ओलम्पिक अनुशासन में सुसंगत श्रेणी में उपलब्धि हासिल की हो।

(2) राष्ट्रीय पैरालम्पिक समिति की उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों में सम्मिलित होने के इच्छुक आवेदकों के मामले में, ऐसे आवेदक ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए केवल पैरा-ओलम्पिक अनुशासन में सुसंगत श्रेणी में उपलब्धि हासिल की हो।

(3) राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति या राष्ट्रीय पैरालम्पिक समिति के अतिरिक्त किसी अन्य राष्ट्रीय खेल निकाय के उत्कृष्ट योग्यता सूची वाले खिलाड़ियों में समावेशन चाहने वाले आवेदकों के मामले में, श्रेणी 10 के मामले को छोड़कर, ऐसे

आवेदक ने राष्ट्रीय खेल निकाय से संबंधित नामनिर्दिष्ट खेल में संबंधित श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उपलब्धि हासिल की हो, जहां ऐसे आवेदक ने किसी विशेष राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो।

(4) इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,-

(क) नीचे दिए गए किसी भी स्तर में "ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल", "शीतकालीन ओलंपिक खेल", "राष्ट्रमंडल खेल", "एशियाई खेल" और "एशियाई शीतकालीन खेल" के संबंध में "ग्रीष्मकालीन पैरालिंपिक खेल", "शीतकालीन पैरालिंपिक खेल", "पैरा इवेंट जो राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा हैं", "पैरा-एशियाई खेल" और "पैरा-एशियाई खेलों का शीतकालीन संस्करण (यदि कोई हो)" पर आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होगा;

(ख) "स्वीकृत" के संबंध में किसी सुसंगत अंतर्राष्ट्रीय खेल निकाय के तत्वाधान में, अनुमोदन और मंजूरी शक्ति के अधीन आयोजित किसी भी प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम या मैच को विनिर्दिष्ट करता है।

श्रेणी 1

जिन आवेदकों ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल या शीतकालीन ओलंपिक खेल में कम से कम एक स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक जीता है, लेकिन यदि कोई पदक निरस्त हो जाता है, तो उन्हें इस श्रेणी के अधीन विशिष्ट योग्यता प्राप्त करने की अर्हता के लिए नहीं माना जाएगा।

श्रेणी 2

ऐसे आवेदक जिन्होंने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल या शीतकालीन ओलंपिक खेल के दो या उससे अधीन संस्करण में भाग लिया हो।

श्रेणी 3

ऐसे आवेदक जिन्होंने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल या शीतकालीन ओलंपिक खेल के कम से कम एक संस्करण में भाग लिया हो।

श्रेणी 4

जिन आवेदकों को केन्द्रीय सरकार द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, लेकिन यदि कोई पुरस्कार रद्द कर दिया जाता है या वापस कर दिया जाता है, तो उसे इस श्रेणी के अधीन बहुत अच्छी योग्यता प्राप्त करने की अर्हता के लिए नहीं माना जाएगा।

श्रेणी 5

वे आवेदक जिन्होंने विश्व चैम्पियनशिप या समकक्ष प्रतियोगिता में कम-से-कम एक स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक या समकक्ष स्थान प्राप्त किया हो; परंतु यदि कोई पदक वापस ले लिया गया हो, तो उसे इस स्तर के अधीन उत्कृष्ट योग्यता प्राप्त करने की पात्रता के लिए नहीं माना जाएगा।

श्रेणी 6

वे आवेदक जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों या एशियाई शीतकालीन खेलों में कम-से-कम एक स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक या समकक्ष स्थान प्राप्त किया हो; परंतु यदि कोई पदक वापस ले लिया गया हो, तो उसे इस स्तर के अधीन उत्कृष्ट योग्यता प्राप्त करने की पात्रता के लिए नहीं माना जाएगा।

श्रेणी 7

वे आवेदक जिन्होंने एशियाई चैम्पियनशिप या समकक्ष प्रतियोगिता में कम-से-कम एक स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक या समकक्ष स्थान प्राप्त किया हो; परंतु यदि कोई पदक वापस ले लिया गया हो, तो उसे इस स्तर के अधीन उत्कृष्ट योग्यता प्राप्त करने की पात्रता के लिए नहीं माना जाएगा।

श्रेणी 8

वे आवेदक जिन्होंने कम-से-कम पाँच स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं (यदि व्यक्तिगत खेल हो) या पाँच स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय मैचों (यदि टीम खेल हो) में भाग लिया हो।

श्रेणी 9

वे आवेदक जिन्होंने कम-से-कम एक स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं (यदि व्यक्तिगत खेल हो) या एक स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय मैच (यदि टीम खेल हो) में भाग लिया हो।

श्रेणी 10

वे आवेदक जिन्होंने राष्ट्रीय खेलों या राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या समकक्ष प्रतियोगिता में कम-से-कम एक स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक या समकक्ष स्थान प्राप्त किया हो।

अनुसूची 2

(नियम 9 देखें)

निर्वाचन नियम

1. परिभाषाएँ और निर्वचन

(i) इन निर्वाचन नियमों में, जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अभ्यर्थी” से कोई भी अभ्यर्थी जो किसी निर्वाचित पद के लिए निर्वाचन में भाग ले रहा हो, अभिप्रेत है;

(ख) “निर्वाचन” से किसी निर्वाचित पद के लिए इन निर्वाचन नियमों के अनुसार आयोजित किया गया निर्वाचन अभिप्रेत है;

(ग) “साधारण अधिवेशन” से किसी राष्ट्रीय खेल संस्था की महासभा के सभी सदस्यों की बैठक, जिसे उस राष्ट्रीय खेल निकाय के उपनियमों के अनुसार बुलाया और आयोजित किया गया हो अभिप्रेत है; और

(घ) “नामांकन” से वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से कोई अभ्यर्थी इन निर्वाचन नियमों के अनुसार किसी निर्वाचित पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने की अपनी रुचि औपचारिक रूप से प्रस्तुत करता है अभिप्रेत है।

(ii) इन निर्वाचन नियमों में प्रयुक्त कोई भी शब्द, जिसकी परिभाषा यहाँ नहीं दी गई है, उसका वही अर्थ होगा जो अधिनियम और नियमों में विनिर्दिष्ट किया गया हो।

2. क्षेत्र और लागू होना

(i) ये निर्वाचन नियम राष्ट्रीय खेल निकाय के सभी निर्वाचनों पर लागू होंगे।

(ii) कोई भी अभ्यर्थी, मतदान सदस्य या निर्वाचन में अन्य प्रतिभागी अधिनियम तथा राष्ट्रीय खेल संस्था की आचार संहिता के अधीन होगा, यदि वह अन्यथा पहले से ही उसके अधीन बाध्य और अधीन न हो।

3. निर्वाचन का संचालन

(i) निर्वाचन सामान्यतः राष्ट्रीय खेल निकाय की वार्षिक सामान्य बैठक में होंगे और जहाँ आवश्यक हो, विशेष रूप से बुलाई गई साधारण अधिवेशन में भी हो सकते हैं।

(ii) निर्वाचन सदैव गुप्त मतदान द्वारा किए जाएँगे।

4. निर्वाचन अधिकारी

(i) निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन से संबंधित प्रशासनिक प्रक्रिया की देखरेख के लिए उत्तरदायी होगा, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं,—

(क) अधिनियम और इन नियमों का सही अनुप्रयोग सुनिश्चित करना;

(ख) इस अनुसूची के खंड 5 में प्रदत्त मॉडल कैलेंडर के अनुसार निर्वाचन के प्रत्येक चरण के लिए यथोचित समय-सीमा निर्धारित करना और उन समय-सीमाओं का कठोरता से पालन कराना;

(ग) प्रत्येक चरण के लिए उपयुक्त दस्तावेज़ और प्ररूप, जिनमें नामांकन प्ररूप और मतपत्र सम्मिलित हैं, निर्धारित करना और वितरित करना, तथा उनके उचित उपयोग को लागू एवं सत्यापित करना;

(घ) मतदान सदस्यों, अन्य सदस्यों, मीडिया और जनता को सूचना प्रदान करना;

(ङ) सरकारी निकायों या राष्ट्रीय खेल बोर्ड तथा राष्ट्रीय खेल बोर्ड द्वारा नियुक्त किसी भी पर्यवेक्षक के साथ संपर्क बनाए रखना;

(च) निर्वाचन से संबंधित सभी अधिसूचनाओं और प्ररूपों को राष्ट्रीय खेल निकाय, राष्ट्रीय खेल बोर्ड और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइटों पर प्रकाशित कराना; और

(छ) निर्वाचन प्रक्रिया का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक अन्य सभी कार्य करना।

(ii) निर्वाचन अधिकारी केवल व्यावहारिक आवश्यकता के कारण ही इस अनुसूची से संलग्न प्ररूपों में उपांतरित कर सकेगा, परंतु इस अनुसूची के सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

5. निर्वाचन की घोषणा और निर्वाचन सूची

(i) राष्ट्रीय खेल निकाय की कार्यकारी समिति, निर्वाचन अधिकारी के परामर्श से, अपनी कार्यकारी समिति के कार्यकाल की समाप्ति से कम-से-कम तीस दिन पूर्व निर्वाचन की घोषणा करेगी। यह घोषणा राष्ट्रीय खेल निकाय के संवैधानिक दस्तावेजों के सुसंगत उपबंधों के अनुसार होगा और संबंधित सामान्य बैठक की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाएगा।

(ii) निर्वाचन की घोषणा में कम से कम निम्नलिखित सम्मिलित होगा:—

(क) निर्वाचन अधिकारी का नाम;

(ख) निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 10 के उप-नियम (6) के अनुसार तैयार और जारी की गई अंतिम निर्वाचन सूची, जो इन निर्वाचन नियमों में संलग्न प्ररूप 1 के अनुसार हो;

(ग) वे निर्वाचित पद जिन पर निर्वाचन होना है तथा उन पदों के लिए अभ्यर्थियों को प्रतिस्पर्धा करने हेतु आवश्यक पूर्व-शर्तें या योग्यताएँ;

(घ) इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचित पदों के लिए नामांकन दाखिल करने का आमंत्रण;

(ड) इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नामांकन प्ररूप, जो इन निर्वाचन नियमों में संलग्न प्ररूप 2 के अनुसार होगा; और

(च) निर्वाचन कैलेंडर, जो नीचे उप-खंड (iii) में विनिर्दिष्ट मॉडल कैलेंडर के अनुसार होगा।

(iii) निर्वाचन अधिकारी निम्नलिखित मॉडल कैलेंडर के अनुसार निर्वाचन का संचालन करेगा:

विषय	दिवस
निर्वाचन की घोषणा, नामांकन के लिए आमंत्रण और अंतिम मतदाता सूची जारी करना	दिवस 1
नामांकन दाखिल करना	दिवस 8 से दिवस 10
प्राप्त नामांकनों की प्रारूप सूची की घोषणा	दिवस 10
नामांकित अभ्यर्थियों की प्रारूप सूची पर आपत्तियां	दिवस 11 से दिवस 14
नामांकित अभ्यर्थियों की प्रारूप सूची पर आपत्तियों की जांच और निपटान	दिवस 15 से दिवस 16
नामांकित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची	दिवस 17
नामांकन वापस लेना	दिवस 18
निर्वाचन में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थियों की अंतिम सूची	दिवस 19
मतदान और परिणामों की घोषणा	दिवस 21

(i) निर्वाचन अधिकारी, केवल व्यावहारिक आवश्यकता के कारण, उपखंड (iii) में विनिर्दिष्ट मॉडल कैलेंडर में संशोधन कर सकेगा, परंतु निर्वाचन अधिकतम इक्कीस दिनों की अवधि के भीतर पूर्ण कर लिया जाए।

6. नामांकन

(i) किसी अभ्यर्थी का निर्वाचन हेतु नामांकन, निर्वाचन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित किया जाएगा।

(ii) प्रत्येक नामांकन पत्र, विनिर्दिष्ट समयसीमा के भीतर, अभ्यर्थी स्वयं व्यक्तिगत रूप से निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(iii) कोई भी सदस्य, एक ही निर्वाचित पद के लिए, प्रस्तावक अथवा अनुमोदक के रूप में, एक से अधिक अभ्यर्थी का नामांकन नहीं करेगा और यदि वह ऐसा करता है तो केवल प्रथम वैध नामांकन स्वीकार किया जाएगा तथा ऐसे सदस्य के अन्य सभी नामांकन शून्य एवं अप्रभावी माने जाएंगे।

(iv) किसी व्यक्ति को, एक बार उसके द्वारा अनुमोदित नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात, प्रस्तावक अथवा अनुमोदक के रूप में अपना नाम वापस लेने की अनुमति नहीं होगी।

(v) निर्वाचन अधिकारी, उसके द्वारा प्राप्त सभी नामांकनों की निर्वाचित पदवार सूची, इन निर्वाचन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप-3 के अनुसार तैयार करेगा।

7. नामांकन की संवीक्षा और अंतिम रूप

- (i) निर्वाचन अधिकारी, प्राप्त प्रत्येक नामांकन पत्र की संवीक्षा करेगा तथा अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों और राष्ट्रीय खेल निकाय की उप-विधियों के अनुसार उसकी वैधता अथवा अन्यथा का निर्धारण करेगा।
- (ii) उपखंड (i) के अधीन नामांकन की संवीक्षा के दौरान, प्रत्येक अभ्यर्थियों अथवा उसके किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थित रहने और उसी निर्वाचित पद के लिए अन्य अभ्यर्थियों के नामांकन के संबंध में आपत्ति उठाने का अधिकार होगा, जिसके लिए उसने अपना नामांकन प्रस्तुत किया है।
- (iii) नामांकन पत्रों की संवीक्षा के पश्चात्, निर्वाचन अधिकारी वैध रूप से नामांकित अभ्यर्थियों की सूची इन निर्वाचन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप-4 के अनुसार तैयार करेगा।
- (iv) प्रत्येक अभ्यर्थियों, जिसका नामांकन जांच में वैध पाया गया है, निर्वाचन प्रारंभ होने से पूर्व अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का अधिकार रखेगा, परंतु कि वह निर्वाचन अधिकारी को इन निर्वाचन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप-5 के अनुसार सूचना प्रदान करे, और यदि निर्वाचन अधिकारी ऐसी सूचना की वास्तविकता से संतुष्ट है तो वह वापसी की सूचना स्वीकार करेगा।
- (v) उम्मीदवारी वापस लेने की कोई भी सूचना अंतिम होगी और उसे निरस्त करने की अनुमति नहीं होगी।
- (vi) निर्वाचन अधिकारी, इन निर्वाचन नियमों के प्ररूप-6 के अनुसार, अंतिम रूप से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा।
- (vii) राष्ट्रीय खेल निकाय, निर्वाचन अधिकारी के पर्यवेक्षण और प्रभार में, इन निर्वाचन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप-7 के अनुसार मतपत्र तैयार करेगा।
- (viii) मतपत्र स्पष्ट और सुपाठ्य रूप से मुद्रित किए जाएंगे तथा प्रत्येक निर्वाचित पद के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम अंग्रेज़ी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किए जाएंगे।

8. प्रचार संबंधी आचरण

- (i) निर्वाचन संबंधी प्रचार अभ्यर्थियों द्वारा निष्पक्ष रूप से तथा मौलिक नैतिक सिद्धांतों के प्रति सम्मान की भावना में किया जाएगा।
- (ii) अभ्यर्थी सभी प्रचार कार्य गरिमा एवं संयम के साथ करेंगे तथा अन्य अभ्यर्थियों, राष्ट्रीय खेल निकाय और उसके सदस्यों के प्रति सम्मान बनाए रखेंगे।
- (iii) कोई भी अभ्यर्थी ऐसा मौखिक कथन, लिखित पाठ या किसी प्रकार का प्रस्तुतिकरण नहीं करेगा जो किसी अन्य अभ्यर्थी की छवि को क्षति पहुँचाने वाला हो अथवा उसे हानि पहुँचाने वाला हो; और यदि अन्य अभ्यर्थियों की आलोचना की जाती है तो वह केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पूर्ववृत्त और कार्य तक सीमित होगी।
- (iv) कोई भी अभ्यर्थी अन्य अभ्यर्थी के विरुद्ध अप्रमाणित आरोपों या विकृतियों के आधार पर आलोचना नहीं करेगा और मत प्राप्त करने हेतु जाति या साम्प्रदायिक भावनाओं का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

(v) प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन सूची में सम्मिलित सदस्यों के समक्ष निर्वाचित पद हेतु अपनी योजनाएँ और विचार लिखित दस्तावेज़ के रूप में प्रस्तुत कर सकेगा, जिसे निर्वाचन अधिकारी इन निर्वाचन नियमों के उपखंड 4 (i) (छ) के अनुसार प्रकाशित करेगा।

(vi) अभ्यर्थी निर्वाचन प्रचार में अत्यधिक व्यय से बचेंगे, यह मानते हुए कि ऐसा व्यय अभ्यर्थियों के बीच असमानता का कारक बन सकता है।

(vii) किसी अभ्यर्थी का संप्रवर्तन किसी भी प्रकार के प्रचार से रहित होगा, जिसमें नवीन मीडिया या सामाजिक नेटवर्क का उपयोग भी सम्मिलित है; प्रचार की प्रक्रिया में किसी प्रकार की सार्वजनिक बैठक या सभा आयोजित नहीं की जाएगी; और किसी किसी अभ्यर्थी को लाभ या हानि पहुंचाने के लिए किसी पत्रकार अथवा मीडिया की सेवाओं का, चाहे निःशुल्क अथवा भुगतान के आधार पर, उपयोग नहीं किया जाएगा।

(viii) सभी अभ्यर्थी “भ्रष्ट आचरण” की सभी गतिविधियों, जिनमें मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को डराना-धमकाना, अथवा मतदाताओं का प्रतिरूपण करना सम्मिलित है, से सावधानीपूर्वक बचेंगे।

(ix) अभ्यर्थी किसी भी स्थिति में और किसी भी बहाने से, मतदाता सदस्यों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपहार, दान, भेंट अथवा किसी भी प्रकार का लाभ नहीं देंगे।

(x) वर्तमान कार्यकारी समिति का सदस्य यह सुनिश्चित करेगा कि उसके विरुद्ध कोई शिकायत का कारण उत्पन्न न हो कि उसने अपने आधिकारिक पद का उपयोग अपने निर्वाचन संबंधी प्रचार के लिए किया हो, और विशेष रूप से वह—

(क) अपने प्रचार की प्रगति हेतु आधिकारिक परिवहन, जिसमें वाहन, मशीनरी और कार्मिक सम्मिलित हैं, का उपयोग नहीं करेगा;

(ख) समाचारपत्रों और अन्य मीडिया में राष्ट्रीय खेल निकाय अथवा उसके सदस्यों के व्यय पर कोई विज्ञापन जारी नहीं करेगा या निर्वाचनों के दौरान राष्ट्रीय खेल निकाय के आधिकारिक मीडिया चैनलों का दुरुपयोग नहीं करेगा;

(ग) निर्वाचनों की घोषणा के समय से विवेकाधीन निधियों से कोई अनुदान या भुगतान स्वीकृत नहीं करेगा; तथा

(घ) राष्ट्रीय खेल निकाय के किसी भी सदस्य या उसके साझेदारों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ हेतु किसी भी प्रकार का वचन या प्रतिज्ञा नहीं करेगा, चाहे उसका पालन किसी भी समय किया जाना हो।

9. निष्पक्षता और स्वतंत्रता

(i) चूंकि मतदान गुप्त है, मतदान करने वाले सदस्य व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से, किसी भी रूप में सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करने से प्रतिबंधित होंगे कि वे किसी अभ्यर्थियों को मतदान करेंगे या नहीं करेंगे।

(ii) वर्तमान कार्यकारी समिति के सदस्य किसी भी प्रकार की सार्वजनिक घोषणा करने से विरत रहेंगे और किसी भी प्रकार से किसी अभ्यर्थियों का समर्थन नहीं करेंगे।

(iii) अभ्यर्थियों—

(क) किसी भी व्यक्ति से अनुदेश स्वीकार नहीं करेगा;

(ख) किसी तृतीय पक्षकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता, चाहे वह वित्तीय, भौतिक अथवा वस्तुरूप में हो, स्वीकार नहीं करेगा; तथा

(ग) किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई भी वचन नहीं देगा जो निर्वाचित पद के निर्णय या क्रियाओं की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता हो।

(iv) राष्ट्रीय खेल निकाय की कार्यकारी टीम और प्रशासन प्रत्येक समय निष्पक्षता का कड़ाई से पालन करेंगे, और किसी भी उम्मीदवारी के संबंध में राष्ट्रीय खेल निकाय के प्रशासन या कर्मचारियों से किसी प्रकार का समर्थन या सेवा नहीं माँगी जाएगी।

10. मतदान

(i) जहाँ किसी निर्वाचित पद अथवा निर्वाचित पदों की श्रेणी के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, भरे जाने वाले निर्वाचित पदों की संख्या के बराबर होगी, वहाँ ऐसे सभी अभ्यर्थियों उन निर्वाचित पदों पर बिना विरोध के सम्यक रूप से निर्वाचित माने जाएंगे और ऐसे निर्वाचित पद के लिए मतदान कराना आवश्यक नहीं होगा।

(ii) जहाँ किसी निर्वाचित पद अथवा निर्वाचित पदों की श्रेणी के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, भरे जाने वाले निर्वाचित पदों की संख्या से अधिक होगी, वहाँ शेष निर्वाचित पदों के लिए गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचन कराया जाएगा।

(iii) मतदान में, निर्वाचन सूची में सम्मिलित सदस्य—

(क) प्रत्येक शेष निर्वाचित पद के लिए, जहाँ केवल एक पद भरा जाना है, एक मत देने के अधिकारी होंगे; और

(ख) जहाँ किसी निर्वाचित पद के लिए एक से अधिक पद भरे जाने हैं, वहाँ उतने ही मत देने के अधिकारी होंगे जितने पद भरे जाने हैं।

(iv) मतपत्रों में अभ्यर्थियों के नाम सम्मिलित होंगे और मतदाता केवल एक अभ्यर्थियों को चिन्हित करेगा।

(v) प्रत्येक मतदाता को, मतदान हेतु मतपत्र प्राप्त करने से पूर्व, निर्वाचन सूची की प्रमाणीकृत प्रति पर अपना हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा।

(vi) उपखंड (i) की परिस्थिति को छोड़कर, सदैव गुप्त मतदान कराया जाएगा, चाहे अभ्यर्थियों की संख्या कितनी भी हो, और मत की गोपनीयता उस प्रक्रिया द्वारा सुनिश्चित की जाएगी जो मतदाता की निजता की गारंटी देती है; और निर्वाचन अधिकारी मतपत्रों का वितरण और गणना करेगा तथा यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि प्रक्रिया उचित रूप से अभिलेखित की गई है।

(vii) मतदान सदस्य, जहाँ अपेक्षित हो, व्यक्तिगत रूप से मतदान करेंगे।

- (viii) मतदाता, मतदान केंद्र पर विशेष रूप से उपलब्ध कराए गए मतदान कक्ष में, गुप्त रूप से मतपत्र पर अपना मत दर्ज करेगा।
- (ix) मतदाता, अपने पसंदीदा अभ्यर्थियों के नाम के सामने टिक-चिह्न लगाकर मतपत्र पर अपना मत दर्ज करेगा, और यह टिक-चिह्न केवल उसी साधन (जैसे कि मुहर) द्वारा लगाया जाएगा जिसे निर्वाचन अधिकारी द्वारा विशेष रूप से इस प्रयोजन हेतु उपलब्ध कराया गया है।
- (x) मतदाता द्वारा अंकित मतपत्र, निर्वाचन अधिकारी द्वारा विशेष रूप से तैयार और सीलबंद मतपेटी में डाला जाएगा, जिसे मतदान केंद्र पर ऐसे प्रमुख स्थान पर रखा जाएगा कि वह मतदान केंद्र में उपस्थित सभी व्यक्तियों को निरंतर दृष्टिगोचर हो।
- (xi) निर्वाचन अधिकारी, निर्धारित समय पर मतदान को बंद करेगा, और यदि कोई मतदाता नियत समापन समय पर मतदान केंद्र पर उपस्थित है तो उसे मतदान करने का अधिकार होगा, भले ही मतदान की कार्यवाही को उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों के लिए कुछ समय तक बढ़ाना पड़े।
- (xii) मतदान प्रारंभ होने से पूर्व निर्वाचन अधिकारी द्वारा वितरित किए गए मतपत्रों की संख्या घोषित की जाएगी, और यदि मतदान में लौटाए गए मतपत्रों की संख्या वितरित किए गए मतपत्रों की संख्या के बराबर या उससे कम है तो निर्वाचन वैध घोषित किया जाएगा; किन्तु यदि मतदान में मिले मतपत्रों की संख्या वितरित किए गए मतपत्रों की संख्या से अधिक है तो मतदान अकृत और शून्य घोषित किया जाएगा तथा तुरंत पुनः मतदान कराया जाएगा।

11. मतगणना

- (i) निर्वाचन अधिकारी, मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् यथाशीघ्र, पदवार और प्रवर्गवार मतगणना प्रारंभ करेगा।
- (ii) प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थियों एक प्राधिकृत प्रतिनिधि नामित कर सकता है, जिसे मतगणना स्थल पर उपस्थित रहने का अधिकार होगा; और ऐसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के अतिरिक्त केवल निर्वाचन अधिकारी तथा राष्ट्रीय खेल निकाय की कार्यकारी अथवा प्रशासनिक टीम के वे सदस्य, जिन्हें निर्वाचन अधिकारी द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित किया गया हो, मतगणना में भाग ले सकेंगे।
- (iii) प्रत्येक मतपत्र, जिस पर मत अंकित किया गया है, उस अभ्यर्थियों के लिए एक मत माना जाएगा जिसके पक्ष में वह वैध रूप से अंकित किया गया है।
- (iv) निम्नलिखित मतपत्र अमान्य माने जाएंगे और निर्वाचन अधिकारी द्वारा अस्वीकृत किए जाएंगे, अर्थात्—
- (क) वे मतपत्र जिन पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा परिभाषित आधिकारिक विशिष्ट चिह्न अंकित नहीं हैं;
- (ख) वे मतपत्र जिन पर अभ्यर्थियों के नामों के अतिरिक्त कोई अन्य शब्द अंकित हैं;
- (ग) वे मतपत्र जो अपठनीय हैं या विकृत कर दिए गए हैं;
- (घ) वे मतपत्र जिन पर पहचान संबंधी चिह्न अंकित हैं; तथा
- (ङ) वे मतपत्र जिनमें किसी विशेष मतदान में अनुमत संख्या से अधिक अभ्यर्थियों के लिए मत अंकित किए गए हैं।

(v) निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक अमान्य मतपत्र के पीछे लाल स्याही से उसकी अमान्यता के कारण लिखेगा और हस्ताक्षर द्वारा पुष्टि करेगा।

(vi) प्रत्येक अभ्यर्थियों के लिए वैध रूप से डाले गए मतों की पदवार और जहाँ लागू हो प्रवर्गवार गणना की जाएगी तथा प्रत्येक अभ्यर्थियों के लिए डाले गए मतों को अवरोही क्रम में इन निर्वाचन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप – 8 के अनुसार अभिलेखित किया जाएगा।

(vii) इसके पश्चात निर्वाचन अधिकारी मतगणना का परिणाम निर्धारित करेगा और जिन अभ्यर्थियों ने उक्त अवरोही क्रम में, पदवार और जहाँ लागू हो प्रवर्गवार, अधिकतम संख्या में मत प्राप्त किए हैं, उतने अभ्यर्थियों को, जितने पद भरे जाने हैं, उन निर्वाचित पदों पर सम्यक रूप से निर्वाचित समझा जाएगा।

(viii) मतगणना पूर्ण और सत्यापित करने के पश्चात निर्वाचन अधिकारी, संकलित और गिने गए मतपत्रों को इस प्रयोजन हेतु निर्धारित लिफाफों में रखकर तत्काल सीलबंद करेगा, और राष्ट्रीय खेल निकाय इन लिफाफों को सुरक्षित रखेगा तथा उन्हें कम से कम कार्यकारी समिति के तत्क्षण आगामी निर्वाचन के परिणाम की घोषणा तक, अथवा ऐसे निर्वाचन से संबंधित किसी भी न्यायिक कार्यवाही की लंबित अवधि तक, जो भी पश्चातवर्ती हो, संरक्षित रखेगा।

12. परिणामों की घोषणा

(i) जब मतगणना पूर्ण और सत्यापित हो जाएगी, तब निर्वाचन अधिकारी साधारण सभा में उन निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम घोषित करेगा जिन्हें निर्वाचन में निर्वाचित समझा जाएगा।

(ii) निर्वाचन के परिणाम इन निर्वाचन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप – 9 के अनुसार घोषित किए जाएंगे तथा उनकी पूर्णता के चौबीस घंटे के भीतर राष्ट्रीय खेल निकाय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे।

(iii) यदि मतगणना के पश्चात किसी भी अभ्यर्थियों के बीच मतों की समानता पाई जाती है और एक मत की वृद्धि से उनमें से किसी अभ्यर्थियों को निर्वाचित घोषित किया जा सकता है, तो निर्वाचन अधिकारी तत्काल उन अभ्यर्थियों के बीच चिट्ठी डालकर निर्णय करेगा और ऐसा माना जाएगा कि जिस अभ्यर्थी के नाम चिट्ठी निकली है, उसे एक अतिरिक्त वोट मिला हो।

13. प्रतिबंध एवं शिकायतें

(i) अधिनियम, इन नियमों अथवा राष्ट्रीय खेल निकाय की उप-विधियों में आच्छादित न किए गए किसी भी निर्वाचन संबंधी प्रशासनिक विषय पर निर्णय निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(ii) यदि इन निर्वाचन नियमों का उल्लंघन होता है, तो निर्वाचन अधिकारी उसे राष्ट्रीय खेल निकाय की आचार समिति को संदर्भित कर सकेगा, जो संबंधित अभ्यर्थियों को—

(क) टिप्पणियाँ कर सकती है, जिन्हें सार्वजनिक किया जा सकता है; या

(ख) चेतावनी जारी कर सकती है, जो स्वतः राष्ट्रीय खेल निकाय की आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाएगी।

(iii) यदि किसी अभ्यर्थी अथवा मतदान सदस्य को निर्वाचन के संचालन के संबंध में कोई विशिष्ट शिकायत या समस्या है, तो वह उसे निर्वाचन अधिकारी के संज्ञान में ला सकेगा।

(iv) इन नियमों के अधीन निर्वाचन अधिकारी का कोई भी निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा, और निर्वाचन के संचालन अथवा परिणाम से संबंधित कोई भी याचिका केवल इस अनुसूची के अधीन निर्वाचन के संचालन से संबंधित उपबंधों के उल्लंघन तक सीमित होगी:

परंतु यह कि ऐसी कोई याचिका, किसी भी निर्वाचन के परिणाम की घोषणा से तीस दिनों की अवधि के पश्चात दाखिल नहीं की जाएगी।

प्ररूप 1 — निर्वाचक नामावली

[राष्ट्रीय खेल निकाय का नाम अंतर्लिखित करें]

[राष्ट्रीय खेल निकाय का नाम अंतर्लिखित करें] का निर्वाचन [तारीख अंतर्लिखित करें] को

संबद्ध इकाइयाँ			
क्र. सं.	संबद्ध इकाई का नाम	निर्वाचन प्रतिनिधि का नाम	
उत्कृष्ट गुणागुण वाले खिलाड़ी			
	नाम		
	नाम		
	नाम		

नाम:

निर्वाचन अधिकारी, [राष्ट्रीय खेल निकाय का नाम अंतर्लिखित करें]

तारीख:

स्थान:

प्ररूप 2 — नामनिर्देशन प्ररूप

[राष्ट्रीय खेल निकाय का नाम अंतर्लिखित करें]

[राष्ट्रीय खेल निकाय का नाम अंतर्लिखित करें] का निर्वाचन [तारीख अंतर्लिखित करें] को

.....(निर्वाचित पद का नाम)..... के निर्वाचित पद हेतु नामनिर्देशन प्ररूप

प्रति,

निर्वाचन अधिकारी, [राष्ट्रीय खेल निकाय का नाम अंतर्लिखित करें]

[पता अंतर्लिखित करें]

हम उपर्युक्त उल्लिखित निर्वाचित पद के लिए श्री/श्रीमती/सुश्री..... (नाम और पता) का नामनिर्देशन करते हैं।

हमारे विवरण नीचे दिए गए हैं:

	नाम	प्रतिनिधित्व की गई संबद्ध इकाई का नाम (यदि प्रयोज्य हो)	निर्वाचक नामावली सूची में क्र. सं.	हस्ताक्षर
प्रस्तावक				
समर्थक				

मैं, अधोलिखित अभ्यर्थी, उपर्युक्त निर्वाचित पद के लिए अपने नामनिर्देशन पर अपनी सहमति देता/देती हूँ। इसके अतिरिक्त, मैं प्रमाणित और पुष्टि करता/करती हूँ कि—

(क) मैं [राष्ट्रीय खेल निकाय का नाम अंतर्लिखित करें] की उपविधियों के अनुसार उपर्युक्त निर्वाचित पद के लिए निर्वाचन लड़ने के लिए पात्र हूँ; तथा

(ख) मैं वर्तमान में कोई उपशमन अवधि नहीं भुगत रहा/रही हूँ, और न ही मुझे उपर्युक्त निर्वाचित पद के संबंध में कोई उपशमन अवधि भुगतने की आवश्यकता है या ऐसे निर्वाचित पद के लिए निर्वाचन लड़ने से वर्जित नहीं हूँ, जैसा कि [राष्ट्रीय खेल निकाय का नाम अंतर्लिखित करें] की उपविधियों, राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 या राष्ट्रीय खेल शासन (राष्ट्रीय खेल निकाय) नियम, 2025 या लागू विधि के अधीन है।

(ग) इस प्ररूप में संलग्न घोषणा में दी गई जानकारी मेरी पूरी जानकारी में सच्ची और ठीक है।

अभ्यर्थी का नाम _____

प्रतिनिधित्व की गई संबद्ध इकाई का नाम (यदि प्रयोज्य हो)

निर्वाचक नामावली सूची में क्र. सं. (यदि प्रयोज्य हो)

हस्ताक्षर _____

तारीख:

स्थान:

प्ररूप 3 — प्राप्त नामनिर्देशनों की सूची

[राष्ट्रीय खेल निकाय का नाम अंतर्लिखित करें]

[राष्ट्रीय खेल निकाय का नाम अंतर्लिखित करें [तारीख अंतर्लिखित करें] का निर्वाचन [को

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम और पता	निर्वाचित पद	प्रस्तावक का नाम और नामावली सूची में क्र. सं.	निर्वाचक	समर्थक का नाम और नामावली सूची में क्र. सं.

नाम:

निर्वाचन अधिकारी, [राष्ट्रीय खेल निकाय का नाम अंतर्लिखित करें]

तारीख:

स्थान:

प्ररूप 4 — विधिमान्यतः नामनिर्देशित अभ्यर्थियों की सूची

[राष्ट्रीय खेल निकाय का नाम अंतर्लिखित करें]

[राष्ट्रीय खेल निकाय का नाम अंतर्लिखित करें] का निर्वाचन [तारीख अंतर्लिखित करें] को

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम और पता	निर्वाचित पद	प्रस्तावक का नाम और नामावली सूची में क्र. सं.	निर्वाचक	समर्थक का नाम और नामावली सूची में क्र. सं.

नाम:

निर्वाचन अधिकारी, [राष्ट्रीय खेल निकाय का नाम अंतर्लिखित करें]

तारीख:

स्थान:

प्ररूप 5 — वापसी की सूचना

[राष्ट्रीय खेल निकाय का नाम अंतर्लिखित करें]

[राष्ट्रीय खेल निकाय का नाम अंतर्लिखित करें] का निर्वाचन [तारीख अंतर्लिखित करें] को

....(निर्वाचित पद का नाम).....के पर निर्वाचन हेतु अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना

प्रति,

निर्वाचन अधिकारी, [राष्ट्रीय खेल निकाय का नाम अंतर्लिखित करें]

[पता अंतर्लिखित करें]

में, विधिमान्यतः नामनिर्देशित अभ्यर्थी, उपर्युक्त निर्वाचित पद के लिए अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना देता/देती हूँ।

अभ्यर्थी का नाम _____

प्रतिनिधित्व की गई संबद्ध इकाई का नाम (यदि प्रयोज्य हो)

निर्वाचक नामावली सूची में क्र. सं. (यदि प्रयोज्य हो)

हस्ताक्षर _____

तारीख:

स्थान:

प्ररूप 6 – निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

[राष्ट्रीय खेल निकाय का नाम लिखें]

[राष्ट्रीय खेल निकाय का नाम लिखें] निर्वाचन की (तारीख लिखें)

क्रम संख्या	निर्वाचित पद	अभ्यर्थी का नाम	सम्बद्ध इकाई का नाम (यदि लागू हो)	निर्वाचन सूची में क्रम संख्या (यदि लागू हो)

नाम:

निर्वाचन अधिकारी, [राष्ट्रीय खेल निकाय का नाम लिखें]

तारीख:

स्थान :

प्ररूप 7 – मतपत्र

[राष्ट्रीय खेल निकाय का नाम लिखें]

[राष्ट्रीय खेल निकाय का नाम लिखें] निर्वाचन की (तारीख लिखें)

निर्वाचित पद	अभ्यर्थी का नाम	(√) सही का चिन्ह लगाकर वोट करें

- 1) संबंधित निर्वाचित पद हेतु केवल एक (1) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के नाम के सामने सही का चिन्ह लगाएँ।
- (2) किसी भी अभ्यर्थी के नाम के सामने (x) या अन्य कोई चिन्ह अथवा शब्द न लगाएँ, क्योंकि ऐसा करने से आपका मतपत्र अस्वीकृत हो जाएगा।
- (3) मतपत्र पर सही का चिन्ह केवल उसी लेखनी/साधन से लगाएँ जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस उद्देश्य हेतु विशेष रूप से प्रदान किया गया है। किसी अन्य पेन, बॉल प्वाइंट पेन आदि से लगाए गया चिन्ह से आपका मतपत्र अस्वीकृत हो जाएगा।

नाम:

निर्वाचन अधिकारी, [राष्ट्रीय खेल निकाय का नाम लिखें]

तारीख:

स्थान:

प्ररूप 8 – मतगणना का परिणाम

[राष्ट्रीय खेल निकाय का नाम लिखें]

[राष्ट्रीय खेल निकाय का नाम लिखें] निर्वाचन की [तारीख]

पद का नाम	डाले गए कुल मत	कुल अस्वीकृत मत	अभ्यर्थी का नाम	डाले गए विधि मान्य मत
अध्यक्ष (1)			1.	
			2.	
			3.	
माननीय सचिव (1)			1.	
			2.	
			3.	
माननीय कोषाध्यक्ष (1)			1.	
			2.	
			3.	
उत्कृष्ट योग्यता वाले पुरुष खिलाड़ी (संख्या लिखें)			1.	
			2.	
			3.	
उत्कृष्ट योग्यता वाली महिला खिलाड़ी (नंबर लिखें)			1.	
			2.	
			3.	

नाम:

निर्वाचन अधिकारी, [राष्ट्रीय खेल निकाय का नाम लिखें]

तारीख:

स्थान:

नाम:

पर्यवेक्षक (यदि उपस्थित हो)

प्ररूप 9 – परिणामों की घोषणा
[राष्ट्रीय खेल निकाय का नाम लिखें]
[राष्ट्रीय खेल निकाय का नाम लिखें] निर्वाचन की [तारीख]

मैं, उपर्युक्त चुनावों का निर्वाचन अधिकारी, अधोलिखित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित निर्वाचित पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित करता/करती हूँ

चयनित पद	अभ्यर्थी का नाम
अध्यक्ष (1)	
माननीय सचिव (1)	
माननीय कोषाध्यक्ष (1)	
उत्कृष्ट योग्यता वाले पुरुष खिलाड़ी (संख्या लिखें)	
उत्कृष्ट योग्यता वाली महिला खिलाड़ी (संख्या डालें)	

नाम:

निर्वाचन अधिकारी, [राष्ट्रीय खेल निकाय का नाम लिखें]

तारीख:

स्थान:

नाम:

पर्यवेक्षक (यदि उपस्थित हो)

[फा. संख्या 12-12/2025-शासन-1]

कुणाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(DEPARTMENT OF SPORTS)

NOTIFICATION

New Delhi, the , 2026

G.S.R. 18 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (a), (b), (c), (k), (m), (n) and (t) of sub-section (2) of section 31 of the National Sports Governance Act, 2025 (25 of 2025), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

CHAPTER 1

PRELIMINARY

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the National Sports Governance (National Sports Bodies) Rules, 2026.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. — (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) “Act” means the National Sports Governance Act, 2025 (25 of 2025);

(b) “Central Government” shall mean the Department of the Central Government which has been allocated the subject matter of sports under the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961;

(c) “Elected Post” means all posts on the Executive Committee, other than, —

(i) the posts reserved for representatives of the Athletes Committee under sub-clause (ii) of clause (b) under sub-section (1) of section 4 of the Act; and

(ii) the posts to be occupied by *ex officio* members under sub-clause (iii) of clause (b) under sub-section (1) of section 4 of the Act;

(d) “Election Rules” means the rules applicable to Elections to the Executive Committees as specified in Schedule II;

(e) “Electoral Officer” means the person notified under sub-section (1) of section 16 of the Act;

(f) “Executive Committee” means the committee constituted in every National Sports Body pursuant to clause (b) of sub-section (1) of section 4 of the Act;

(g) “General Body” means the body constituted in every National Sports Body pursuant to clause (a) of sub-section (1) of section 4 of the Act;

(h) “National Sports Board” means the Board established pursuant to section 5 of the Act;

(i) “Schedule” means the schedule annexed to these rules; and

(j) “Sportspersons of outstanding merit Eligibility Rules” means the eligibility rules for sportspersons of outstanding merit as specified in Schedule I.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER 2

SPORTSPERSONS OF OUTSTANDING MERIT

3. Representation of sportspersons of outstanding merit in the General Body. — (1) The General Body of each National Sports Body shall include, as voting members, at least four, or any other higher even number, of sportspersons of outstanding merit, of which fifty per cent. shall be male sportspersons of outstanding merit and fifty per cent. shall be female sportspersons of outstanding merit.

(2) The manner of election or nomination of sportspersons of outstanding merit under sub-rule (1) may be specified in the bye-laws of the relevant National Sports Body.

4. Representation of sportspersons of outstanding merit in the Executive Committee. — The sportspersons of outstanding merit to be included in the Executive Committee pursuant to sub-clause (i) of clause (b) to sub-section (1) of section 4 of the Act, shall be elected to the Executive Committee in accordance with rule 9.

5. Eligibility criteria and application. — (1) The National Sports Body shall call for applications for persons to be considered as sportspersons of outstanding merit and such call for applications shall specify the General Eligibility Criteria and Tiered Eligibility Criteria as specified in Schedule I, pursuant to which the sportspersons of outstanding merit rosters shall be populated.

(2) Any person seeking to submit an application to be a sportsperson of outstanding merit shall satisfy the General Eligibility Criteria as specified in the Sportspersons of outstanding merit Eligibility Rules under Schedule I, and submit an application within a period of sixty days from the issuance of the call for applications, to the relevant National Sports Body, in such form and containing such information as may be specified by the relevant Executive Committee or in the bye-laws of such National Sports Body.

6. Roster of sportspersons of outstanding merit. — (1) On consideration of applications made under sub-rule (2) of rule 5, every National Sports Body shall prepare a roster of male sportspersons of outstanding merit and a roster of female sportspersons of outstanding merit, in respect of the designated sport concerning such body at least ninety days prior to the expiry of the term of such National Sports Body's incumbent Executive Committee.

(2) The roster of male sportspersons of outstanding merit and roster of female sportspersons of outstanding merit shall each include ten times the number of male sportspersons of outstanding merit or female sportspersons of outstanding merit, as the case may be, in the General Body of such National Sports Body.

(3) The National Sports Body shall adhere to the following procedure while populating the relevant sportspersons of outstanding merit roster, as applicable for male sportspersons of outstanding merit and female sportspersons of outstanding merit, namely :-

- (a) in the first instance, all applicants who satisfy the General Eligibility Criteria and Tier 1 of the Tiered Eligibility Criteria set forth in Schedule I, shall be included in the relevant sportspersons of outstanding merit roster;
- (b) in the event that the sportspersons of outstanding merit roster, pursuant to clause (a), cannot be populated to meet the threshold specified in sub-rule (2), the National Sports Body shall include such applicants who satisfy the General Eligibility Criteria and the Tiered Eligibility Criteria in the Tier level immediately following the level last considered, in a sequential manner, until the number of applicants included in the relevant sportspersons of outstanding merit roster satisfies such threshold;

- (c) where the number of sportspersons of outstanding merit, pursuant to the use of a particular Tier, exceeds the threshold specified in sub-rule (2), then the eldest applicant by age shall receive preference and priority in selection from among the group of candidates qualifying under such Tier; and
 - (d) where the National Sports Body is unable to populate the relevant sportspersons of outstanding merit roster to meet the threshold specified under sub-rule (2) based on the steps under clauses (a) to (c), it may issue another call for applications in accordance with sub-rule (1) of rule 5 or frame and adopt additional tiered criteria for such sportspersons of outstanding merit roster, which shall be based on the principles used in Schedule I.
- (4) The sportspersons of outstanding merit rosters, as finalised in accordance with this rule, shall be published on the official website of the relevant National Sports Body and submitted to the National Sports Board.
- (5) Any person appearing on a sportspersons of outstanding merit roster shall be considered a sportsperson of outstanding merit in respect of such National Sports Body for the purposes of the Act and the rules thereunder.

CHAPTER 3

GENERAL BODY AND EXECUTIVE COMMITTEE

7. Composition of the General Body. — (1) The General Body of every National Sports Body shall have the following categories of members, namely:-

- (a) at least four sportspersons of outstanding merit;
- (b) *ex officio* members as specified in the bye-laws of the National Olympic Committee in the case of the National Olympic Committee;
- (c) in the case of the National Olympic Committee, representatives of each National Sports Federation registered as an affiliate unit with the National Sports Board;
- (d) in case of a National Sports Body other than the National Olympic Committee, representatives of each State level affiliate unit registered with the National Sports Board; and
- (e) any other category of persons as may be provided by the bye-laws of a National Sports Body, in accordance with the relevant International Charters and Statutes as issued by the International Olympic Committee, or as required by the relevant International Sports Body.

(2) The election or nomination of sportspersons of outstanding merit to the General Body, as specified under clause (a) of sub-rule (1), shall be undertaken at least seventy-five days prior to the expiry of the term of the incumbent Executive Committee of the relevant National Sports Body.

8. Term of office and composition of the Executive Committee. — (1) The term of office of an Executive Committee of each National Sports Body as determined by the bye-laws of the relevant body, shall not exceed four years.

(2) The bye-laws of a National Sports Body specifying its composition shall ensure that at least one of the sportspersons of outstanding merit on the Executive Committee and one of the representatives from the Athletes Committee on the Executive Committee, shall be a woman.

(3) Every National Sports Body may, through its bye-laws, reserve specific posts for women in the Executive Committee, to ensure compliance with the first proviso to clause (b) of sub-section (1) of section 4 of the Act.

9. Procedure governing election to Executive Committee. — (1) The election to all Elected Posts in the Executive Committee shall be conducted at least once every four years, in a fair and transparent manner and in accordance with the Election Rules in Schedule II.

(2) Unless otherwise specified in the International Charters and Statutes, the Executive Committee shall, by resolution, appoint an Electoral Officer from the National Sports Election Panel, at least sixty days prior to the expiry of such Executive Committee's term, for the preparation of the electoral roll and conduct of elections to the Executive Committee and to the Athletes Committee.

(3) The Executive Committee shall, in consultation with the Electoral Officer appointed under sub-rule (2), notify the date for elections, at least fifty days prior to the expiry of such Executive Committee's term.

(4) The Electoral Officer shall be responsible for ensuring smooth conduct of the elections to the Executive Committee of the National Sports Body in compliance with the Election Rules under Schedule II.

(5) The National Sports Body shall provide the requisite number of administrative staff as specified by the Electoral Officer to assist such officer to conduct the elections to the Executive Committee.

(6) The National Sports Body shall adhere to the timelines specified in these rules and as summarised below in order to conduct an election for its Executive Committee:

Rule/Clause	Event	Timeline
Rule 5(2)	Submission of application to be a sportsperson of outstanding merit	Within sixty days of the call for applications under sub-rule (1) of rule 5.
Rule 6(1)	Preparation of a roster of male sportspersons of outstanding merit and a roster of female sportspersons of outstanding merit	At least ninety days prior to the expiry of the term of the incumbent Executive Committee.
Rule 7(2)	Election or nomination of sportspersons of outstanding merit to the General Body	At least seventy-five days prior to the expiry of the term of the incumbent Executive Committee.
Rule 9(2)	Appointment of an Electoral Officer	At least sixty days prior to the expiry of the term of the incumbent Executive Committee.
Rule 9(3)	Notification of election date	At least fifty days prior to the expiry of the term of the incumbent Executive Committee.
Rule 10(5)	Preparation and release of draft electoral roll	At least forty-five days prior to the expiry of the term of the incumbent Executive Committee.
Clause 5(i) of Schedule II	Call for elections, release of final electoral roll and invitation for nominations	At least thirty days prior to the expiry of the term of the incumbent Executive Committee.

10. Election to the Executive Committee. — (1) Unless otherwise specified in the International Charters and Statutes, any person who meets the eligibility criteria under sub-section (2) of section 4 of the Act and is not subject to disqualification under rule 11 may contest for election to the Executive Committee of a National Sports Body.

(2) Members of the General Body of the National Olympic Committee as specified under sub-rule (1) of rule 7, shall be eligible to vote for the election to its Executive Committee as specified below, namely:-

- (a) every individual sportsperson of outstanding merit shall have one vote;
- (b) every individual *ex officio* member shall have one vote;
- (c) every National Sports Federation that is registered with the National Sports Board as an affiliate unit of the National Olympic Committee, shall have a maximum of two votes, to be exercised by separate individual representatives of such affiliate unit; and
- (d) for any category of persons specified under clause (e) of sub-rule (1) of rule 7, one vote for each such person.

(3) Members of the General Body of a National Sports Body other than the National Olympic Committee, as specified under sub-rule (1) of rule 7, shall be eligible to vote for the election to its Executive Committee as specified below, namely:-

- (a) every individual sportsperson of outstanding merit shall have one vote;
 - (b) every State level affiliate unit of the National Sports Body that is registered with the National Sports Board, shall have a maximum of two votes, to be exercised by separate individual representatives of such affiliate unit; and
 - (c) for any category of persons specified under clause (e) of sub-rule (1) of rule 7, one vote for each such person.
- (4) The electoral roll for an election to the Executive Committee shall consist of only such members or their representatives in the General Body of the relevant National Sports Body that have voting rights as per sub-rule (2) or sub-rule (3), as the case may be, and are not otherwise disqualified under the provisions of the Act or these rules.
- (5) The draft electoral roll for the election shall be prepared and released by the Electoral Officer in consultation with the then current Executive Committee of the National Sports Body, at least forty-five days prior to the expiry of the term of such Executive Committee:

Provided that the Electoral Officer's decision shall be final and binding in respect of the inclusion or non-inclusion, as the case may be, of any person on the electoral roll.

(6) The Electoral Officer shall provide for at least seven days from the release of the draft electoral roll, to receive and respond to any objections regarding the composition of the final electoral roll.

11. Disqualifications. — (1) A person shall be disqualified from being a member of the General Body, or of any committee of a National Sports Body, and shall not be eligible for contesting for election to the Executive Committee or the Athletes Committee, if such person is-

- (a) declared insolvent under applicable law; or
- (b) subject to a conviction by a court of competent jurisdiction in India for an offence, followed by a sentence of imprisonment; or
- (c) subject to a ban from holding any such position by an order of the Ethics Committee of such National Sports Body:

Provided that the disqualification in respect of -

- (i) clause (a) shall be for the period of insolvency as applicable;
- (ii) clause (b) shall be for a period of one full term of the Executive Committee after the completion of such sentence; and
- (iii) clause (c) shall be for the duration of such ban.

(2) The bye-laws of a National Sports Body may provide that, in addition to the criteria specified under sub-rule (1), a person shall be disqualified from -

- (a) being a member of the General Body or of any committee of such National Sports Body, or shall not be eligible for contesting elections to the Executive Committee or the Athletes Committee, if such person is a member of any other National Sports Body other than the National Olympic Committee; and
- (b) being a member of the General Body or of any committee of such National Sports Body, where such person has not completed the cooling off period of one term after having held the position of President, Secretary General or Treasurer in any other National Sports Body.

CHAPTER 4

NATIONAL SPORTS ELECTION PANEL

12. Roster of the National Sports Election Panel. — (1) The National Sports Board shall maintain a roster of the National Sports Election Panel as notified under sub-section (1) of section 16 of the Act.

(2) The roster of the National Sports Election Panel shall at all times contain at least twenty members who satisfy the qualifications specified under sub-section (1) of Section 16 of the Act.

(3) The roster of the National Sports Election Panel shall be a public document within the meaning of section 74 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (47 of 2023).

13. Fees payable to Electoral Officers. — In respect of each election, the National Sports Body shall, on the basis of mutual agreement with the Electoral Officer, pay a maximum amount of rupees five lakhs as fees, along with fees of a mutually agreed amount for an assistant to such officer, if any.

CHAPTER 5

ATHLETES COMMITTEES, ETHICS COMMITTEES AND DISPUTE RESOLUTION COMMITTEES

14. Provisions concerning Committees in bye-laws of National Olympic Committee. — The bye-laws of the National Olympic Committee shall include provisions concerning the constitution, operation and procedures of an Athletes Committee, an Ethics Committee and a Dispute Resolution Committee, which shall -

- (a) be in compliance with such guidelines as may be specified in the International Charters and Statutes; and
- (b) in the absence of guidelines under clause (a), be guided by the model guidelines or regulations that may be specified by the National Sports Board from time to time.

15. Provisions concerning Committees in bye-laws of National Sports Bodies. — The bye-laws of each National Sports Body, other than the National Olympic Committee, shall include provisions concerning the constitution, operation and procedures of an Athletes Committee, Ethics Committee, and Dispute Resolution Committee, which shall -

- (a) be in compliance with such guidelines as may be specified in the International Charters and Statutes;
- (b) in the case of National Sports Bodies other than the National Olympic Committee, such guidelines as may be specified by the National Olympic Committee; and
- (c) in the absence of guidelines under clauses (a) and (b), be guided by the model guidelines or regulations that may be specified by the National Sports Board from time to time.

CHAPTER 6

REGIONAL SPORTS FEDERATIONS

16. Affiliation to be maintained by Regional Sports Federations. — (1) Every Regional Sports Federation shall have an international recognition and affiliation of the concerned International Sports Body, unless a designated sport does not have an International Sports Body.

(2) Where there is more than one International Sports Body for the same sport, or where more than one Regional Sports Federation applies for recognition, the National Sports Board may take a decision on the matter of affiliation and recognition, based on reasons to be recorded in writing.

CHAPTER 7 AFFILIATE UNITS

17. Registration of affiliate units. — (1) Every National Sports Body shall facilitate the registration of each of its affiliate units with the National Sports Board subject to submission of the information and documents as set forth below, and in such form and manner as be specified by the National Sports Board from time to time:-

- (a) copy of the certificate of affiliation issued by the National Sports Body in respect of such affiliate unit;
- (b) copy of certificate of registration as a society, not-for-profit company or trust, as the case may be, under applicable laws;
- (c) names and designations of all members of the governing body of the affiliate unit, by whatever name called; and
- (d) any other information, as may be specified by the National Sports Board for the purposes of discharging its functions under the Act.

(2) Every affiliate unit of a National Sports Body shall ensure compliance with sub-rule (1) and further ensure registration of each of its affiliate units, with the National Sports Board, and the provisions of sub-rule (1) shall apply *mutatis mutandis* to each such unit.

(3) Every affiliate unit registered with the National Sports Board shall communicate any change in the information provided to such Board within a period of thirty days of such change.

CHAPTER 8 MISCELLANEOUS

18. Miscellaneous

(1) Every National Sports Body shall, within a period of six months, amend its bye-laws in conformity with the provisions of the Act.

(2) The Central Government may, on receipt of the application from a National Sports Body, relax the provisions of these rules for a period of twelve months from the commencement of these rules and reasons for such relaxation to be recorded in writing.

SCHEDULE I

(See rules 5 and 6)

SPORTSPERSONS OF OUTSTANDING MERIT ELIGIBILITY RULES

1. General Eligibility Criteria. — Any person seeking to be designated as a sportsperson of outstanding merit shall be -

- (a) an Indian citizen;
- (b) of sound mind;
- (c) not less than twenty-five years of age; and
- (d) retired from active sports and should have not participated in any competitive sport event which leads to selection to represent a district, State or India for at least one year prior to date of application under sub-rule (2) of rule 5.

2. Tier Eligibility Criteria. — (1) In case of applicants seeking inclusion to the sportspersons of outstanding merit roster of the National Olympic Committee, such applicant shall have achieved the milestone in the relevant Tier in an Olympic discipline only, while representing India.

(2) In case of applicants seeking inclusion to the sportspersons of outstanding merit roster of the National Paralympic Committee, such applicant shall have achieved the milestone in the relevant Tier in a Para-Olympic discipline only, while representing India.

(3) In case of applicants seeking inclusion to the sportspersons of outstanding merit rosters of any National Sports Body other than the National Olympic Committee or the National Paralympic Committee, such applicant shall have achieved the milestone in the relevant Tier in the designated sport concerning the National Sports Body only, while representing India, except in the case of Tier 10, where such applicant shall have represented a particular State.

(4) For the purposes of this Schedule, —

- (a) References to “Summer Olympic Games”, “Winter Olympic Games”, “Commonwealth Games”, “Asian Games” and “Asian Winter Games” in any of the Tiers below shall apply *mutatis mutandis* to “Summer Paralympic Games”, “Winter Paralympic Games”, “Para events that form a part of the Commonwealth Games”, “Para-Asian Games” and “Winter edition of the Para-Asian Games (if any)”;
- (b) References to “sanctioned” refers to any competitive international event or match organised under the auspices, approval and sanctioning power of a relevant International Sports Body.

Tier 1

Applicants who have won at least one of any gold, silver or bronze medal in the Summer Olympic Games or Winter Olympic Games, provided that any medal if rescinded, shall not be considered for the qualification of having achieved outstanding merit, under this Tier.

Tier 2

Applicants who have participated in two or more editions of the Summer Olympic Games or Winter Olympic Games.

Tier 3

Applicants who have participated in at least one edition of the Summer Olympic Games or Winter Olympic Games.

Tier 4

Applicants who have been awarded a Major Dhyan Chand Khel Ratna Award or an Arjuna Award by the Central Government, provided that any award if rescinded or returned, shall not be considered for the qualification of having achieved outstanding merit, under this Tier.

Tier 5

Applicants who have won at least one of any gold, silver or bronze medal or equivalent placing, in a World Championship or equivalent competition, provided that any medal if rescinded, shall not be considered for the qualification of having achieved outstanding merit, under this Tier.

Tier 6

Applicants who have won at least one of any gold, silver or bronze medal or equivalent placing, in the Commonwealth Games or Asian Games or Asian Winter Games, provided that any medal if rescinded, shall not be considered for the qualification of having achieved outstanding merit, under this Tier.

Tier 7

Applicants who have won at least one of any gold, silver or bronze medal or equivalent placing, in an Asian Championship or equivalent competition, provided that any medal if rescinded, shall not be considered for the qualification of having achieved outstanding merit, under this Tier.

Tier 8

Applicants who have participated in at least five sanctioned international events (if individual sport) or five sanctioned international matches (if team sport).

Tier 9

Applicants who have participated in at least one sanctioned international event (if individual sport) or one sanctioned international match (if team sport).

Tier 10

Applicants who have who have won at least one of any gold, silver or bronze medal or equivalent placing in the National Games or a National Championship or equivalent competition.

SCHEDULE II

(See rule 9)

ELECTION RULES

1. Definitions and Interpretation

- (i) In these Election Rules, unless the context otherwise requires,-
- (a) “candidate” shall mean any candidate contesting for Election to an Elected Post;
 - (b) “election” shall mean an election conducted in accordance with these Election Rules for an Elected Post;
 - (c) “general meeting” shall mean a meeting of all members of the General Body of a National Sports Body, that is called and conducted in accordance with such National Sports Body’s bye-laws; and
 - (d) “nomination” shall mean the process through which a candidate formally submits such candidate’s interest to contest for an Election to an Elected Post in accordance with these Election Rules.
- (ii) Any terms used in these Election Rules but not defined herein, shall have the meaning ascribed to them in the Act and the Rules.

2. Scope and Applicability

- (i) These Election Rules apply to all Elections in the National Sports Body.
- (ii) Any candidate, voting member or other participant in the election shall also be subject to the Act, and the National Sports Body’s Code of Ethics if he is not otherwise already bound and covered by the same.

3. Conduct of Elections

- (i) Elections shall generally take place at the Annual General Meeting of the National Sports Body and, where so required may also take place at a specially convened general meeting.
- (ii) Elections shall always be by secret ballot.

4. Electoral Officer

- (i) The Electoral Officer shall be responsible for supervising the administrative process relating to the elections, including,-
- (a) ensuring the correct application of the Act, and these rules;
 - (b) setting reasonable deadlines for each stage of the elections in accordance with the model calendar provided under clause 5 of this Schedule, and enforcing such deadlines strictly;
 - (c) determining and distributing the appropriate documentation and forms, including nomination forms and ballot papers, for each stage of the elections and enforcing and verifying their proper use;
 - (d) distributing information to voting members, other members, the media and public;
 - (e) managing relations with government bodies or the National Sports Board and any observers as deputed by the National Sports Board;
 - (f) causing the publication of all notifications and forms concerning the elections on the official websites of the National Sports Body, the National Sports Board and the Ministry of Youth Affairs and Sports; and
 - (g) all other tasks necessary to ensure the smooth running of the electoral process.

- (ii) The Electoral Officer may, only for reasons of practical necessity, modify the forms appended to this Schedule, while ensuring that the principles of this Schedule are adhered to.

5. Calling elections and the electoral roll

- (i) Elections shall be called by the National Sports Body's Executive Committee in consultation with the Electoral Officer, at least thirty days prior to the expiry of such Executive Committee's term, in accordance with the relevant provisions of the National Sports Body's constitutional documents and shall be included in the agenda of the applicable general meeting.
- (ii) The call for elections shall contain, at a minimum, the following:
- the name of the Electoral Officer;
 - the final electoral roll prepared and released by the Electoral Officer pursuant to sub-rule (6) of rule 10 and in accordance with **Form 1** appended to these Election Rules.
 - the Elected Posts that are the subject of such Elections and any pre-requisites or qualifications for Candidates to contest such Elected Posts;
 - an invitation to file for nominations for Elected Posts by interested Candidates;
 - the nomination form to be submitted by interested Candidates which shall be in accordance with **Form 2** appended to these Election Rules; and
 - the electoral calendar which shall be in accordance with the model calendar specified in sub-clause (iii) below:
- (iii) The Electoral Officer shall conduct the Elections in accordance with the following model calendar:

Event	Day
Call for Elections, invitation for nominations and release of final electoral roll	Day 1
Filing of nominations	Day 8 to Day 10
Announcement of draft list of nominations received	Day 10
Objections to draft list of nominated candidates	Day 11 to Day 14
Scrutiny and disposal of objections to Draft list of nominated candidates	Day 15 to Day 16
Final list of nominated candidates	Day 17
Withdrawal of nominations	Day 18
Final list of contesting candidates	Day 19
Polling and announcement of results	Day 21

- (iv) The Electoral Officer may, only for reasons of practical necessity, modify the model calendar specified in sub-clause (iii), while ensuring that the elections are completed within a maximum period of twenty-one days.

6. Nominations

- The nomination of a candidate for election shall be proposed and seconded by persons on the electoral roll.
- Every nomination form shall be delivered to the Electoral Officer in person by the candidate himself within the deadline specified.
- No member shall nominate more than one candidate for the same Elected Post, either as proposer or seconder and, if he so does, only the first valid nomination shall be accepted, and all other nominations of such member, shall be deemed to be void and inoperative.
- No person shall be permitted to withdraw his name as proposer or seconder, once the nomination form endorsed by him has been delivered to the Electoral Officer.
- The Electoral Officer shall prepare a list of all nominations received by him, Elected Post-wise in accordance with **Form 3** appended to these Election Rules.

7. Scrutiny and Finalisation of Nominations

- (i) The Electoral Officer shall scrutinise each nomination form received by him and determine its validity or otherwise as per the Act, rules made thereunder, the National Sports Body's bye-laws.
- (ii) During the scrutiny of nominations under sub-clause (i), each Candidate or one of his authorised representatives shall have the right to be present and raise any objection in relation to nomination of another Candidate for the Elected Post for which he has filed his nomination.
- (iii) Pursuant to the scrutiny of nomination forms, the Electoral Officer shall prepare a list of validly nominated candidates in accordance with **Form 4** appended to these Election Rules.
- (iv) Every candidate whose nomination has been found valid on scrutiny shall be entitled to withdraw his candidature prior to the commencement of the Election by providing notice to the Electoral Officer in accordance with **Form 5** appended to these Election Rules, and the Electoral Officer shall accept the notice of withdrawal if he is satisfied as to the genuineness of such notice.
- (v) Any notice of withdrawal of candidature shall be final and shall not be allowed to be cancelled.
- (vi) The Electoral Officer shall prepare the final list of contesting candidates in accordance with **Form 6** of these Election Rules.
- (vii) The National Sports Body shall produce the ballot papers in accordance with **Form 7** appended to these Election Rules under the supervision and charge of the Electoral Officer.
- (viii) The ballot papers shall be printed clearly and legibly, and the names of the contesting candidates shall be arranged, for each Elected Post, in alphabetical order according to the english alphabet.

8. Campaign Practices

- (i) Electoral campaigns shall be carried out by the candidates in a fair manner and, in a spirit of respect for fundamental ethical principles.
- (ii) Candidates shall conduct all campaigns with dignity and moderation and with respect for any other candidates, the National Sports Body and its members.
- (iii) A Candidate shall not produce any spoken word, written text or representation of any nature likely to harm the image of another candidate or cause him prejudice, and criticism of other candidates, if made, shall be confined to their policies and programme, past record and work.
- (iv) No Candidate shall engage in criticism based on unverified allegations or distortion against any other Candidate, and there shall be no appeal to caste or communal feelings for securing votes.
- (v) Every Candidate may present to the members in the electoral roll, his plans and views for the Elected Post, in the form of a written document, which shall be published by the Electoral Officer in accordance with clause 4 (i) (g) of these Election Rules.
- (vi) Candidates shall avoid excessive expenditure in campaigning, recognising that it could become a factor of inequality amongst the candidates.
- (vii) The promotion of a candidate shall exclude any form of publicity, including the use of new media or social networks, and no public meeting or gathering of any kind may be organised in the process of promoting a candidature, and no use, free of charge or in return for payment, of the services of a journalist or the media may be made in order to place a candidate at an advantage or a disadvantage.
- (viii) All candidates shall scrupulously avoid all activities that are "corrupt practices", including bribing of voters, intimidation of voters, impersonation of voters.
- (ix) Candidates may, in no case and under no pretext, give presents, offer donations, gifts or grant advantages of whatever nature, directly or indirectly, to voting members.
- (x) The incumbent Executive Committee member, shall ensure that no cause is given for any complaint that they have used their official position for the purposes of their election campaign and in particular shall not -
- (a) use official transport including, vehicles, machinery and personnel for furtherance of their campaign;
- (b) issue any advertisement at the cost of the National Sports Body or its members in the newspapers and other media or misuse the National Sports Body's official media channels during the elections;
- (c) sanction grants or payments out of discretionary funds from the time elections are announced;
- and

- (d) enter into any promise or undertaking to be performed, whatever the timing of such performance, for the direct or indirect benefit of any of the National Sports Body's members or its partners.

9. Neutrality and Independence

- (i) As the voting is secret, voting members are prohibited individually or collectively, from announcing publicly, in any form whatsoever, their intention to vote or not vote for a candidate.
- (ii) Incumbent Executive Committee members shall refrain from making any public declaration and may in no way support a candidate.
- (iii) Candidates shall not -
- (a) accept instructions from any person;
 - (b) accept direct or indirect assistance, be it financial, material or in kind, by any third party, or
 - (c) enter into any form of undertaking with any person likely to affect the freedom of decision or action of the Elected Post.
- (iv) The National Sports Body's executive team and administration shall maintain a strict duty of neutrality at all times, and no support or service in relation to a candidature may be requested from any member of the National Sports Body's administration or staff.

10. Polling

- (i) Where the number of contesting candidates for any Elected Post or category of Elected Post is equal to the number of Elected Posts to be filled, all such contesting candidates shall be deemed to be duly elected unopposed to those Elected Posts, and it shall not be necessary to take a poll for election to such Elected Post.
- (ii) Where the number of contesting candidates for any Elected Post or category of Elected Post is more than the number of Elected Posts to be filled, a poll shall be taken by secret ballot for those Elected Posts remaining unfilled.
- (iii) At the poll, members who are in the electoral roll, shall be entitled to,-
- (a) cast one vote for each of the Elected Posts remaining unfilled, where only one such seat is to be filled; and
 - (b) cast as many votes as are the number of seats to be filled for an Elected Post, where more than one seat is to be filled.
- (iv) The ballot papers shall contain the name(s) of the Candidate(s), and the voters must mark one candidate only.
- (v) Every voter shall be required, before he is supplied with a ballot paper, to give his signature on the authenticated copy of the electoral roll for taking the poll.
- (vi) Except for the circumstance under sub-clause (i), a secret ballot shall always be conducted, regardless of how many candidates there are, and the secrecy of the ballot shall be guaranteed by the provision of a procedure ensuring privacy for the voter, and the Electoral Officer shall conduct the distribution and counting of the ballot papers and be responsible for ensuring that the process is properly documented.
- (vii) Voting members must vote in person where required.
- (viii) The voter shall record his vote on the ballot paper in secrecy in a voting compartment specially provided for the purpose at the polling station.
- (ix) The voter shall record his vote on the ballot paper by placing a tick mark against the name of the candidate of his choice, and the tick mark to indicate the vote shall be placed by the voter only by means of an article (such as a stamp) specifically provided for the purpose by the Electoral Officer.
- (x) The ballot paper marked by a voter shall be deposited by him in a ballot box specially prepared and sealed by the Electoral Officer and placed at such a conspicuous place in the polling station that it shall be constantly visible to all present in the polling station.
- (xi) The Electoral Officer shall close the poll at the designated time of closure, and such voters who are present at the polling station at the appointed closing hour, if any, shall be entitled to vote even if the poll proceedings have to be extended for sportspersons of outstanding merit more time.

- (xii) The number of ballot papers that have been distributed shall be announced by the Electoral Officer before the commencement of the voting, and if the number of ballot papers returned in the poll is equal to or less than the number of ballot papers distributed, the Election shall be declared valid, but if the number returned in the poll exceeds that of the ballot papers distributed, the vote shall be declared null and void and another poll shall be taken immediately.

11. Counting of Votes

- (i) The Electoral Officer shall take up the counting of votes, post-wise and category-wise, as soon as may be, after the polling process is complete.
- (ii) Every contesting candidate can nominate one authorised representative who shall be entitled to be present at the place of counting of votes, and other than such authorised representative, only the Electoral Officer and members of the National Sports Body's executive or administrative team, as specifically approved by the Electoral Officer, may take part in the count.
- (iii) Every ballot paper on which a vote has been recorded shall be treated as one vote for the candidate for whom it has been validly marked.
- (iv) The following ballot papers shall be considered invalid and shall be rejected by the Electoral Officer, namely:-
- those that do not bear the official distinctive marks defined by the Electoral Officer;
 - those that bear any words other than the names of the candidates;
 - those that are illegible or have been defaced;
 - those that bear identifying marks; and
 - those that include votes for more candidates than permitted in a particular poll.
- (v) The Electoral Officer shall write on the back of any invalid ballot paper, in red, the reasons for its invalidity and confirm with a signature.
- (vi) The votes validly cast for each of the contesting candidates shall be counted post-wise, and category-wise where applicable, and recorded in the descending order of the votes so cast for each candidate in accordance with **Form 8** appended to these Election Rules.
- (vii) The Electoral Officer shall thereafter ascertain the result of counting and the candidates who have secured the maximum number of votes in the said descending order, post-wise and category wise, where applicable, equal to the number of seats to be filled for each Elected Post or category of Elected Posts, where applicable, shall be deemed to have been duly elected to those Elected Posts.
- (viii) After completing and verifying the count, the Electoral Officer shall put the ballot papers that have been collected and counted into envelopes intended for this purpose and seal them immediately, and the National Sports Body shall keep these envelopes and shall retain them atleast until the declaration of results of the immediately subsequent Election of the Executive Committee, or till the pendency of any legal proceedings relating to such Elections, whichever is later.

12. Declaration of Results

- (i) Once the count has been completed and verified, the names of contesting candidates who shall be deemed to have been elected at the Elections shall be declared by the Electoral Officer at the general meeting.
- (ii) The results of the election shall be declared in accordance with **Form 9** appended to these Election Rules, and published on the National Sports Body's official website within twenty-four hours of completion thereof.
- (iii) If, after the counting of the votes, an equality of votes is found to exist between any candidates, and the addition of one vote will entitle any of those candidates to be declared elected, the Electoral Officer shall forthwith decide between those candidates by lot, and proceed as if the candidate on whom the lot falls had received an additional vote.

13. Sanctions and Complaints

- (i) All administrative matters relating to any election not covered by the Act, these rules or the National Sports Body's bye-laws shall be ruled upon by the Electoral Officer.
- (ii) In the event of a breach of these Election Rules, the Electoral Officer may refer the same to the National Sports Body's Ethics Committee, who may make to the candidate in question:
- observations, which may be made public; or
 - issue a warning, which will be automatically made public on the National Sports Body's official website.
- (iii) If a candidate or a voting member has any specific complaint or problem regarding the conduct of elections he may bring the same to the notice of the Electoral Officer.
- (iv) Any decision by the Electoral Officer under these rules shall be final and binding, and any petition to the National Sports Tribunal relating to conduct or outcome of election shall be limited to only any violation of the provisions relating to the process of conduct of election under this Schedule:

Provided that no such petition may be filed after a period of thirty days from the declaration of results of any election.

Form 1 – Electoral Roll

[Insert Name of National Sports Body]

[Insert Name of National Sports Body] Elections on [Insert Date]

Affiliate Units			
Sl. No	Affiliate Unit Name	Election Representative Name	
Sportspersons of Outstanding Merit			
	Name		
	Name		
	Name		

Name:

Electoral Officer, [Insert Name of National Sports Body]

Date:

Place:

Form 2 – Nomination Form*[Insert Name of National Sports Body]**[Insert Name of National Sports Body]* Elections on *[Insert Date]***NOMINATION FORM FOR****ELECTION AS _____ (NAME OF THE ELECTED POST)**

To

The Electoral Officer, *[Insert Name of National Sports Body]**[Insert Address]*

We

nominate

Shri/Smt./Ms. _____

(name and address) for the above-mentioned Elected Post.

Our particulars are given below:-

	Name	Name of Affiliate Unit Represented (if applicable)	Sl. No in the Electoral Roll List	Signature
Proposer				
Secunder				

I, the candidate below named, do hereby give my assent to my nomination for the above Elected Post.

Further, I certify and confirm that-

- (a) I am eligible to contest for the above-mentioned Elected Post as per the bye-laws of *[Insert Name of National Sports Body]*; and
- (b) I am not currently undergoing, and am not required to undergo any cooling off period in relation to the above mentioned Elected Post or barred from contesting for such Elected Post, as per the bye-laws of *[Insert Name of National Sports Body]*, the National Sports Governance Act, 2025 or the National Sports Governance (National Sports Bodies) Rules, 2025 or under applicable law.
- (c) The information provided in the declaration appended to this form is true and correct to the best of my knowledge.

Name of the Candidate _____

Name of Affiliate Unit Represented (if applicable) _____ Sl.

No. in the Electoral Roll list (if applicable) _____

Signature _____

Date:

Place:

Form 3 – List of Nominations Received

[Insert Name of National Sports Body]

[Insert Name of National Sports Body] Elections on [Insert Date]

Sl. No.	Name, Address and of Candidate	Elected Post	Name and Sl. No. in Electoral Roll List of Proposer	Name and Sl. No. in Electoral Roll List of Seconder

Name:

Electoral Officer, *[Insert Name of National Sports Body]*

Date:

Place:

Form 4 – List of Validly Nominated Candidates*[Insert Name of National Sports Body]**[Insert Name of National Sports Body] Elections on [Insert Date]*

Sl. No.	Name, and Address of Candidate	Elected Post	Name and Sl. No. in Electoral Roll List of Proposer	Name and Sl. No. in Electoral Roll List of Seconder

Name:

Electoral Officer, *[Insert Name of National Sports Body]*

Date:

Place:

Form 5 – Notice of Withdrawal*[Insert Name of National Sports Body]**[Insert Name of National Sports Body] Elections on [Insert Date]***NOTICE OF WITHDRAWAL OF CANDIDATURE FOR ELECTION AS (NAME OF THE ELECTED POST)**

To

The Electoral Officer, *[Insert Name of National Sports Body]*
[Insert Address]

I, the validly nominated candidate, do hereby give my notice of withdrawal of candidature for the above Elected Post.

Name of the Candidate _____

Name of Affiliate Unit Represented (if applicable) _____ Sl.

No. in the Electoral Roll list (if applicable) _____

Signature _____

Place:

Date:

Form 6 – List of Contesting Candidates*[Insert Name of National Sports Body]**[Insert Name of National Sports Body] Elections on [Insert Date]*

Sl. No.	Elected Post	Name of Candidate	Name of Affiliate Unit Represented (if applicable)	Sl. No. in Electoral Roll List (if applicable)

Name:

Electoral Officer, *[Insert Name of National Sports Body]*

Date:

Place:

Form 7 – Ballot Paper*[Insert Name of National Sports Body]**[Insert Name of National Sports Body] Elections on [Insert Date]*

Elected Post	Name(s) of Candidate	Mark vote here by placing tick mark (<input type="checkbox"/>)

(1) Place a tick mark () against the name of only one (1) contesting Candidate for the respective Elected Post.

- (2) DO NOT place any other mark like (x) or work against the name of any Candidate as that shall render your ballot paper liable for rejection.
- (3) Place a tick mark on the ballot paper with the article specially provided by the Electoral Officer for the purpose. Any ballot paper marker with any other pen, ball point pen, etc shall render your ballot paper liable for rejection.

Name:

Electoral Officer, [*Insert Name of National Sports Body*]

Date:

Place:

Form 8 – Result of Counting of Votes

[*Insert Name of National Sports Body*]

[*Insert Name of National Sports Body*] Elections on [*Insert Date*]

Name of Post	Total Vote s Polled	Total Vote s Rejected	Name of Candidate	Valid Vote s Polled
President (1)			1.	
			2.	
			3.	
Honorary Secretary (1)			1.	
			2.	
			3.	
Honorary Treasurer (1)			1.	
			2.	
			3.	
Male Sportsperson(s) of Outstanding Merit (Insert Number)			1.	
			2.	
			3.	
Female Sportsperson (s) of Outstanding Merit (Insert Number)			1.	
			2.	
			3.	

Name:

Electoral Officer, [*Insert Name of National Sports Body*]

Date:

Place:

Name:

Observer (if present)

Form 9 – Declaration of Results

[Insert Name of National Sports Body]

[Insert Name of National Sports Body] Elections on [Insert Date]

I, the Electoral Officer for the above elections, hereby declare the following candidates as duly elected to the Elected Post(s) mentioned against their name.

Elected Post	Name of Candidate
President (1)	
Honorary Secretary (1)	
Honorary Treasurer (1)	
Male Sportsperson(s) of Outstanding Merit (Insert Number)	
Female Sportsperson (s) of Outstanding Merit (Insert Number)	

Name:

Electoral Officer, [Insert Name of National Sports Body]

Date:

Place:

Name:

Observer (if present)

[F. No. 12-12/2025-Governance-1]

KUNAL, Jt Secy.